

“मज़बूत लोकतन्त्र – सबकी भागीदारी”

हिमाचल प्रदेश सरकार निर्वाचन विभाग



वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट वित्त वर्ष 2010—2011

(01.04.2010 से 31.03.2011)

विषय सूची

अध्याय		पृष्ठ
I.	विभागीय विवरण, कार्यकलाप एवं कर्तव्य (सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)बी के उप-खण्ड(2) के अन्तर्गत सूचना)	1—15
II.	विभाग के संविधिक (स्टैचुटरी) कार्य	16—26
III.	प्रशासनिक कार्य	27—38
IV.	परिशिष्ट	39—65

अध्याय—1

निर्वाचन विभाग को भारत निर्वाचन आयोग की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 1984-85 में सचिवालय का दर्जा प्राप्त हुआ। अतः निर्वाचन विभाग का मुख्यालय विभागाध्यक्ष एवं प्रशासनिक विभाग का कार्य करता है। इस प्रकार निर्वाचन विभाग Single File System वाला विभाग है। इसका मुखिया मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं पदेन सचिव (निर्वाचन) होता है। वर्ष 2010-11 के दौरान मान्य मुख्य मन्त्री इस विभाग के मन्त्री प्रभारी रहे। निर्वाचन विभाग का विवरण, संगठनात्मक ढांचा, क्रियाकलाप, शक्तियां और कर्तव्य निम्न प्रकार से है, जिनका वर्णन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)बी के उप-खण्ड(2) के अन्तर्गत उल्लिखित है।

1. विभागीय विवरण, कार्यकलाप एवं कर्तव्य

निर्वाचन विभाग एक गैर योजना विभाग है और विभिन्न प्रकार के निर्वाचनों के संचालन का उत्तरदायित्व निभाता है। यह विभाग निम्न प्रकार की संविधिक (Statutory) कार्य/ गतिविधियां भारत निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निर्देशन और नियन्त्रण में निर्वहन करता है :-

- 1 राष्ट्रपतीय/ उप-राष्ट्रपतीय निर्वाचन का संचालन,
- 2 राज्य सभा के द्विवार्षिक निर्वाचन,
- 3 लोक सभा/विधान सभा के साधारण निर्वाचन/ उप निर्वाचन,
- 4 मतदान केन्द्रों की स्थापना,
- 5 मतदाता सूचियों की तैयारी एवं अद्यतन,
- 6 मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करना,
- 7 लोक सभा/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन,
- 8 राष्ट्रीय मतदाता जागरण अभियान।

इसके अतिरिक्त दूसरे नियमित कार्य जैसे स्थापना/ बजट, लेखा, भण्डार की आपूर्ति/ वितरण इत्यादि का कार्य भी विभाग द्वारा किये जाते हैं।

विभाग के कार्य का विभाजन

(i) राज्य मुख्यालय स्तर पर

- (क) सचिव (निर्वाचन) बतौर "प्रशासनिक विभाग" और विभाग में श्रेणी-I और श्रेणी-II के पदों के लिए नियुक्ति प्राधिकारी कार्य करते हैं।
- (ख) मुख्य निर्वाचन अधिकारी "विभागाध्यक्ष" है और तृतीय श्रेणी के पदों की पूर्ति के लिए नियुक्ति प्राधिकारी है। मुख्यालय के चतुर्थ श्रेणी के पदों की पूर्ति हेतु

अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी सक्षम हैं तथा जिलों में यह शक्तियां सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारियों (उपायुक्तों) को निहित है।

- (ग) मुख्य निर्वाचन अधिकारी की सहायतार्थ संविधिक कार्य (Statutory functions) के कार्यान्वयन हेतु एक अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं विशेष सचिव (निर्वाचन) पदाविहित है जोकि कार्यालयाध्यक्ष एवं नियन्त्रण अधिकारी है।
- (घ) विभागीय कैंडर का एक पद सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी (प्रथम श्रेणी) जोकि राज्य सरकार के अवर सचिव के दर्जे का है, विभाग में विद्यमान है। उक्त अधिकारी आहरण एवं संवितरण का कार्य करता है तथा यात्रा भत्ता एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति भत्ता के लिए नियन्त्रण अधिकारी भी है। शाखा-1 में उक्त अधिकारी की सहायतार्थ एक अनुभाग अधिकारी और सात वरिष्ठ सहायकों के पद हैं।
- (ङ) एक और विभागीय कैंडर का पद निर्वाचन अधिकारी (प्रथम श्रेणी) भी विभाग में विद्यमान है। उक्त अधिकारी की सहायतार्थ एक अनुभाग अधिकारी तथा चार वरिष्ठ सहायक शाखा-11 का कार्य देखते हैं।
- (च) एक तकनीकी पद कम्प्युटर प्रोग्रामर(श्रेणी-1) का स्वीकृत है। इस अधिकारी की सहायतार्थ कम्प्युटर सैल में एक कम्प्युटर ऑपरेटर, एक डाटा ऑपरेटर और एक कनिष्ठ सहायक भी हैं। कम्प्युटर सैल में कार्यरत कर्मचारी मुख्यालय स्टाफ तथा जिला मुख्यालय/ उप मण्डलीय स्तर पर कार्यरत स्टाफ को कम्प्युटर प्रशिक्षण आदि का कार्य करते हैं।

(ii) जिला मुख्यालय स्तर

जिलों के उपायुक्त "जिला निर्वाचन अधिकारी" होते हैं और वे जिलों में बतौर "कार्यालयाध्यक्ष" कार्य करते हैं। उपायुक्त, शिमला, मण्डी, हमीरपुर तथा कांगड़ा लोक सभा निर्वाचनों के लिए बतौर रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त हैं। प्रत्येक जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी की सहायतार्थ एक-एक तहसीलदार(निर्वाचन) कार्यरत हैं। जिला कांगड़ा व मण्डी में दो-दो नायब तहसीलदार (निर्वाचन) तथा अन्य आठ जिलों में एक-एक नायब तहसीलदार (निर्वाचन) विद्यमान हैं। जिला किन्नौर एवं लाहौल-स्पिति में नायब तहसीलदार (निर्वाचन) नहीं हैं।

(iii) उप मण्डलीय स्तर

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सभी उप मण्डलाधिकारी उनके क्षेत्राधिकार में पड़ने वाले निर्वाचन क्षेत्रों के लिए बतौर रिटर्निंग ऑफिसर/ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। दो उपायुक्त (जिला लाहौल एवं स्पिति और किन्नौर) भी बतौर रिटर्निंग ऑफिसर/ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किए गये हैं। राजस्व/ निर्वाचन विभाग के तहसीलदार/ नायब तहसीलदार भी सहायक रिटर्निंग ऑफिसर/ सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी आयोग द्वारा

नियुक्त किए गए हैं। उप मण्डल स्तर पर प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक-एक निर्वाचन कानूनगो/ लिपिक तथा चपड़ासी रिटर्निंग ऑफिसरों की सहायतायुक्त नियुक्त हैं।

2. ऑफिसरों / कर्मचारियों की शक्तियां एवं कार्यकलाप

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव (निर्वाचन)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13 क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग राज्य सरकार के परामर्श से मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पदाभिहित करता है।

उक्त अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है तथा पूर्व-पदेन सचिव(निर्वाचन) के तौर पर कार्य करते हैं। क्योंकि हिमाचल प्रदेश सचिवालय में निर्वाचन विभाग की कोई अलग शाखा नहीं है इसलिए वह प्रशासनिक सचिव एवं विभागाध्यक्ष हैं।

- बतौर मुख्य निर्वाचन अधिकारी उनका निर्वाचन विभाग पर पूर्ण नियन्त्रण है।
- वह जिला निर्वाचन अधिकारियों, रिटर्निंग ऑफिसरों/ सहायक रिटर्निंग ऑफिसरों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों/ सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा निर्वाचन विभाग से सम्बन्धित कार्यों के सम्पादनार्थ उनका परिवीक्षण करते हैं। विभाग के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति एवं पदोन्नति के लिए भी वह सक्षम है।
- वह बतौर विभागाध्यक्ष एवं सचिव(निर्वाचन) वित्तीय स्वीकृतियां प्रदान करने हेतु सक्षम हैं।
- उनमें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में प्रतिकूल टिप्पणियों के निवारण के सम्बन्ध में अपील प्राधिकारी की शक्तियां निहित हैं।
- वह विभागीय अधिकारियों/ कर्मचारियों के स्थानान्तरण एवम् अन्य विभिन्न प्रकार के कार्यकलापों के कार्यान्वयन हेतु सक्षम है।

अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं विशेष सचिव (निर्वाचन)

यह पद हिमाचल प्रशासनिक सेवा कैडर का है तथा उक्त अधिकारी निर्वाचन विभाग के मुख्यालय का कार्यालयाध्यक्ष है। इनके द्वारा निम्न कार्य का निष्पादन किया जाता है :-

- मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव(निर्वाचन) के साथ सभी विभागीय मामलों में सहायता करना।
- निर्वाचन विभाग की दोनों शाखाओं एवं कम्प्युटर सैल का पर्यवेक्षण।
- कार्यालयाध्यक्ष स्तर के सभी वित्तीय मामलों का निपटारा।
- विभाग के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति/ पदोन्नति/ पुष्टिकरण।
- मुख्यालय पर कार्यरत प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट लिखने हेतु रिपोर्टिंग आफिसर।

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी

यह अधिकारी (राजपत्रित प्रथम श्रेणी) राज्य के अवर सचिव के स्तर के हैं। वह निर्वाचन विभाग मुख्यालय पर बतौर आहरण एवं सवितरण अधिकारी तथा नियन्त्रण अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। इनके निम्नलिखित कर्तव्य हैं :-

- सभी विभागीय मामलों में मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव(निर्वाचन) तथा अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी की सहायता करना।
- बजट, लेखे व भण्डार सम्बन्धी मामलों के कार्यों की देखरेख करना।
- विभाग की अन्य गतिविधियों जैसे विभागीय पदोन्नति समिति की मीटिंग, प्रशासन में दक्षता सम्बन्धी बैठक में भाग लेना।
- अन्य विभागीय कार्यों का निरीक्षण/ निष्पादन आदि।

निर्वाचन अधिकारी

विभाग में यह पद भी राजपत्रित प्रथम श्रेणी का है। इनके निम्नलिखित कर्तव्य हैं :-

- सभी प्रकार के निर्वाचन संचालन, मतदाता सूचियों की तैयारी, मतदाता सूचियों का अद्यतन, कम्प्यूट्रीकरण, मतदाताओं के पहचान पत्रों की तैयारी, मतदान केन्द्रों की स्थापना राष्ट्रीय मतदाता जागरण अभियान, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के आयोजन तथा लोक सभा/ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के कार्यों की देखरेख करना।

अनुभाग अधिकारी-I

यह अधिकारी अनुभाग-I का प्रभारी होता है। इनका मुख्य कार्य स्थापना, बजट, लेखे व भण्डार सामग्री आदि मामलों का निष्पादन है। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित सहायकों के कार्य का निरीक्षण इत्यादि।

अनुभाग अधिकारी-II

यह अधिकारी अनुभाग-II का प्रभारी होता है। इनका मुख्य कार्य निर्वाचन संचालन, मतदाता सूचियों की तैयारी, मतदाताओं को पहचान पत्र जारी करना, मतदान केन्द्रों की स्थापना, मतदाता जागरण अभियान, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के आयोजन, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन एवं निर्वाचन से सम्बन्धित शिकायतों आदि के कार्य का निष्पादन है तथा सम्बन्धित सहायकों का कार्य का निरीक्षण आदि।

निजी स्टाफ

निजी स्टाफ में एक पद निजी सचिव तथा एक पद वरिष्ठ आशुलिपिक और एक पद कनिष्ठ आशुलिपिक का सृजित है। यह निजी स्टाफ मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव (निर्वाचन)

अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं विशेष सचिव (निर्वाचन) के दिनचर्या के कार्य एवं जो भी सरकारी कार्य उन्हें अधिकारियों द्वारा सौंपा जाए जैसे फाईलों का रखरखाव, गोपनीय रिकार्ड की अभिरक्षा, हिन्दी, अंग्रेजी भाषा में टंकण का कार्य तथा वाहनों आदि का नियन्त्रण का कार्य का निष्पादन करता है।

इसके अतिरिक्त तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का विवरण निम्न प्रकार से हैं:-

क्रम संख्या	श्रेणी	पद नाम	स्वीकृत पद
1.	III	वरिष्ठ सहायक	25
2.	III	निर्वाचन (कानूनगो)	70
3.	III	कनिष्ठ सहायक / लिपिक	77
4.	III	कम्प्युटर ऑपरेटर	1
5.	III	वरिष्ठ आशुलिपिक	1
6.	III	कनिष्ठ आशुलिपिक	1
7.	III	चालक	2
8.	IV	प्रतिलिपि चन्द्र चालक	1
9.	IV	दफ्तरी	1
10.	IV	चपड़ासी	74
11.	IV	चौकीदार	12
कुल योग			265

जिला स्तर के कार्यालय

जिला निर्वाचन अधिकारी

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13कक के अनुसरण में प्रत्येक जिला के उपायुक्त को निर्वाचन कार्य के निर्वहन हेतु "जिला निर्वाचन अधिकारी" पदाभिहित किया गया है और वे जिलों में बतौर "कार्यालयाध्यक्ष" कार्य करते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी की देखरेख में जिलों में निर्वाचन सम्पन्न करवाए जाते हैं। चार जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी (उपायुक्त), शिमला, हमीरपुर, कांगड़ा तथा मण्डी लोक सभा निर्वाचन हेतु रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किए गये हैं। अन्य जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी आयोग द्वारा लोक सभा निर्वाचन संचालनार्थ सहायक रिटर्निंग ऑफिसर पदाभिहित किए गये हैं। किन्नौर और लाहौल-स्पिति के उपायुक्त बतौर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर भी कार्य करते हैं।

तहसीलदार (निर्वाचन)

जिला निर्वाचन अधिकारी की सहायतार्थ प्रत्येक जिला में एक-एक तहसीलदार (निर्वाचन) नियुक्त किए गये हैं। उक्त तहसीलदारों को आहरण एवं सवितरण अधिकारियों की शक्तियां प्रदान की गई हैं तथा विधान सभा निर्वाचनों के संचालनार्थ उन्हें सहायक रिटर्निंग ऑफिसर भी

पदाविहित किया गया है। उक्त अधिकारी सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी की देखरेख में निर्वाचन का कार्य करते हैं तथा निर्वाचन प्रक्रिया, वोटिंग मशीनों के बारे में प्रशिक्षण आदि प्रदान करते हैं। उपमण्डल स्तर के निर्वाचन के कार्यालयों के कार्यों का निरीक्षण भी तहसीलदार (निर्वाचन) ही करते हैं। फील्ड के सभी प्रकार के कार्य जैसे मतदाता सूचियों की तैयारी, मतदान केन्द्रों की स्थापना, मतदाता फोटो पहचान पत्र की तैयारी के कार्य का निरीक्षण आदि भी वे ही करते हैं।

नायब तहसीलदार (निर्वाचन)

लाहौल स्पिति तथा किन्नौर को छोड़कर जिला निर्वाचन कार्यालय शिमला, सोलन, सिरमौर, बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना, चम्बा तथा कुल्लू में एक-एक नायब तहसीलदार तथा कांगड़ा एवं मण्डी में दो-दो नायब तहसीलदार (निर्वाचन), तहसीलदार (निर्वाचन) की सहायतार्थ नियुक्त है। उक्त अधिकारी भी मतदान प्रक्रिया के बारे में प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। उक्त अधिकारी फील्ड में निर्वाचन कार्य की देखरेख भी करते हैं।

वरिष्ठ सहायक

तहसीलदार (निर्वाचन)/ नायब तहसीलदार (निर्वाचन) की सहायतार्थ प्रत्येक जिले में एक या दो वरिष्ठ सहायकों के पद स्वीकृत हैं। उक्त कर्मचारी स्थापना, बजट एवं लेखे तथा निर्वाचन संचालनार्थ पत्राचार आदि का कार्य करते हैं।

कनिष्ठ सहायक/ लिपिक

प्रत्येक जिला निर्वाचन कार्यालय में दो या तीन कनिष्ठ सहायक/ लिपिक के पद स्वीकृत हैं। उक्त कनिष्ठ सहायक/ लिपिक, वरिष्ठ सहायक की सहायता करते हैं तथा हिन्दी/ अंग्रेजी का टंकण कार्य, बिलों की तैयारी, डाक आवति/ प्रेषण, भण्डार सामग्री का रखरखाव इत्यादि का कार्य सम्भालते हैं।

चपड़ासी/ चौकीदार

जिला निर्वाचन कार्यालयों में 2-3 चपड़ासी तथा एक-एक चौकीदार के पद स्वीकृत है।

उप मण्डलीय निर्वाचन कार्यालय

रिटर्निंग ऑफिसर/ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

निर्वाचनों के संचालनार्थ उप मण्डलाधिकारी(नागरिक), बतौर रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं तथा मतदाता सूचियों की तैयारी हेतु वह बतौर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी पदाविहित किए गये हैं। उप मण्डल स्तर पर उक्त अधिकारी निर्वाचन शाखा के प्रभारी भी होते हैं।

निर्वाचन कानूनगो

प्रत्येक उप मण्डल स्तर पर प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक-एक निर्वाचन कानूनगो का पद स्वीकृत है। निर्वाचन कानूनगो रिटर्निंग ऑफिसर/ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की सहायतार्थ नियुक्त हैं तथा फील्ड में निर्वाचन संचालन, मतदाता सूचियों की तैयारी और निरन्तर अद्यतन, मतदाता फोटो पहचान पत्रों की तैयारी, मतदान केन्द्रों की स्थापना आदि का कार्य करवाते हैं।

कनिष्ठ सहायक/लिपिक

एक पद कनिष्ठ सहायक/ लिपिक का हर उप मण्डलीय निर्वाचन कार्यालय के लिए स्वीकृत है। उक्त कर्मी हिन्दी/ अंग्रेजी का टंकण, डाक आवति/ प्रेषण और निर्वाचन भण्डार के रख-रखाव का कार्य करते हैं तथा निर्वाचन कानूनगो के साथ हर मामलें में सहायता करते हैं।

चपड़ासी

उप मण्डलीय निर्वाचन कार्यालय के लिए एक-एक पद चपड़ासी का स्वीकृत है जोकि चतुर्थ श्रेणी के कर्मियों का कार्य सम्भालते हैं।

3. पर्यवेक्षण के माध्यम तथा उत्तरदायित्व सहित निर्णय लेने की प्रक्रिया हेतु अपनाई गई कार्य विधि

निर्वाचन विभाग में कार्यालय के कार्य की सुचारूता के अनुरूप सभी अधिकारियों/ व्यवहत्कर्ता सहायकों तथा अन्य कर्मियों को कार्य का आबंटन किया गया है तथा इस प्रयोजनार्थ उनका उत्तरदायित्व निर्धारित है। जहां तक कार्य के पर्यवेक्षण का प्रश्न है सभी व्यवहत्कर्ता अपने-अपने मामले में सम्बन्धित अनुभाग अधिकारी को तथा अनुभाग अधिकारी आगे शाखा प्रभारी को फाईलें प्रस्तुत करते हैं। शाखा प्रभारी फाईलों को अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी जोकि कार्यालयाध्यक्ष हैं तथा विशेष सचिव (निर्वाचन) भी हैं, उनके स्तर के मामलों के निपटान हेतु प्रस्तुत करते हैं। जो मामले मुख्य निर्वाचन अधिकारी के स्तर पर बतौर विभागाध्यक्ष निपटाए जाने हों, ऐसे मामले अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा उन्हें प्रस्तुत किये जाते हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रभारी मन्त्री को मामले प्रस्तुत करते हैं क्योंकि निर्वाचन विभाग एक तरह से Single File System वाला विभाग है। अतः सभी मामलों पर तत्परता से निर्णय ले लिए जाते हैं।

4. कार्यों के निष्पादन हेतु विभाग द्वारा निर्धारित मानक

निर्वाचन विभाग में हर ऑफिसर के कार्य निष्पादन हेतु संविधिक प्रावधान (Statutory Provisions) हैं जिसके अन्तर्गत रिटर्निंग ऑफिसर / सहायक रिटर्निंग ऑफिसर तथा निर्वाचक

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/ सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अपने-अपने कर्तव्यों का निष्पादन करते हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देशित कार्यक्रमों का संचालन निर्धारित समय सीमा के अन्दर किया जाता है।

निर्वाचन विभाग के पास विभागीय कर्मियों की नियुक्ति/ पदोन्नति के नियम हैं। जहां तक विभाग की कार्य प्रणाली का प्रश्न है, इस विभाग का सारा कार्य भारत निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, नियन्त्रण एवं निर्देशन में होता है जिसके लिए निम्न केन्द्रीय अधिनियम, नियम, आदेश/ अनुदेश हैं :-

- 1 राष्ट्रपतीय और उप-राष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952.
- 2 राष्ट्रपतीय और उप-राष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम, 1974.
- 3 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 तथा 1951
- 4 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960.
- 5 निर्वाचनों के संचालन नियम, 1961.
- 6 निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन अधिनियम, 2002.
- 7 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के लिए पुस्तिका।
- 8 रिटर्निंग ऑफिसरों की पुस्तिका।
- 9 राज्य सभा निर्वाचन से सम्बन्धित रिटर्निंग ऑफिसरों की पुस्तिका।
- 10 पीठासीन अधिकारियों के लिए पुस्तिका।
- 11 संकलित अनुदेशों की पुस्तिका।
- 12 निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968.

5. विभाग के पास अथवा इसके नियन्त्रण में उपलब्ध दस्तावेजों के वर्गीकरण की विवरणी।

- (क) वित्तीय बजट आबंटन से सम्बन्धित पुस्तिका
- (ख) विभाग द्वारा तैयार की गई वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट
- (ग) गत लोक सभा/ विधान सभा निर्वाचनों से सम्बन्धित रिपोर्ट
- (घ) पावती/ प्रेषण रजिस्टर
- (ङ.) हाजिरी रजिस्टर
- (च) आकस्मिक अवकाश रजिस्टर
- (छ) बजट नस्तियां
- (ज) स्थापना से सम्बन्धित नस्तियां
- (झ) पुनारवलोकन बैठकों की नस्तियां
- (ञ) संसदीय/ विधान सभा प्रश्नों की नस्तियां
- (ट) अन्य नियमित कार्यों से सम्बन्धित नस्तियां आदि।

6. विभाग से सम्बन्धित नीतियों के प्रारूपीकरण अथवा तत्सम्बन्धी कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनप्रतिनिधियों के परामर्श अथवा प्रतिनिधित्व के लिए किसी विद्यमान व्यवस्था का विवरण।

विभागीय नीतियों (Policies) के कार्यान्वयन हेतु जैसे मतदान केन्द्रों की स्थापना, फोटोयुक्त मतदाता सूचियों की तैयारी, आदर्श आचार संहिता की अनुपालना, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन आदि के सम्बन्ध में जन प्रतिनिधियों तथा राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकों का आयोजन किया जाता है।

7. ऐसे बोर्ड, परिषद, समितियां अथवा अन्य निकाए जोकि दो अथवा अधिक व्यक्तियों सहित विभाग के भाग के रूप में अथवा इसके परामर्श के उद्देश्य से गठित हो तथा क्या ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकाओं की बैठके जनता के लिए सार्वजनिक है अथवा क्या ऐसी बैठकों की कार्यवाही जनता की पहुंच में है।

विभाग द्वारा कोई बोर्ड, समितियां गठित नहीं की गई हैं।

8. विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका

विभिन्न श्रेणियों के निम्न विवरणानुसार राज्य मुख्यालय, जिला मुख्यालय तथा उप मण्डलीय स्तर पर पद स्वीकृत हैं।

क्र. सं.	पदों का विवरण	पदों की संख्या
राज्य मुख्यालय स्तर पर		
श्रेणी-I		
1.	मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं पदेन सचिव (निर्वाचन)	1
2.	अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं पदेन विशेष सचिव (निर्वाचन)	1
3.	सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी (राज्य सरकार के अवर सचिव के समतुल्य)	1
4.	निर्वाचन अधिकारी	1
5.	अनुभाग अधिकारी	2
6.	निजी सचिव	1
7.	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	1
8.	तहसीलदार (निर्वाचन)	12
श्रेणी-II		
1.	नायब-तहसीलदार (निर्वाचन)	12
श्रेणी-III		
1.	वरिष्ठ सहायक	25
2.	वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	1
3.	कम्प्यूटर ऑपरेटर	1
4.	निर्वाचन कानूनगो	70
5.	कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	1
6.	कनिष्ठ सहायक/लिपिक	77
7.	चालक	2
श्रेणी-IV		
1.	प्रतिलिपि यन्त्र चालक	1
2.	दफतरी	1
3.	चपड़ासी	74
4.	चौकीदार	12
कुल योग		297

9. विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का वेतनमान :-

क्र. सं.	पद का नाम	वेतनमान
1.	2.	3.
श्रेणी—I		
1.	मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं पदेन सचिव (निर्वाचन)	37400-67000+10000
2.	अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं पदेन विशेष सचिव (निर्वाचन)	37400-67000+8700 + 800 सचिवालय भत्ता
3.	सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी (राज्य सरकार के अवर सचिव के समतुल्य)	15600-39100+6600 + 800 सचिवालय भत्ता
4.	निर्वाचन अधिकारी	10300-34800+5400 + 400 सचिवालय भत्ता
5.	अनुभाग अधिकारी	10300-34800+5000 + 400 सचिवालय भत्ता
6.	निजी सचिव	10300-34800+5000 + 600 सचिवालय भत्ता
7.	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	10300-34800+5000
8.	तहसीलदार (निर्वाचन)	10300-34800+4400
श्रेणी—II		
9.	नायब-तहसीलदार (निर्वाचन)	10300-34800+4200
श्रेणी—III		
10.	वरिष्ठ सहायक	10300-34800+3800 + 240 सचिवालय भत्ता (केवल मुख्यालय स्तर पर कार्यरत वरिष्ठ सहायकों के लिए)
11.	वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	10300-34800+3800 + 240 सचिवालय भत्ता
12.	कम्प्यूटर ऑपरेटर	10300-34800+3200 + 150 सचिवालय भत्ता
13.	निर्वाचन कानूनगो	5910-20200+3000 + 100 विशेष भत्ता
14.	कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	5910-20200+2800 + 150 सचिवालय भत्ता

15.	कनिष्ठ सहायक/लिपिक	5910-20200+2800 (50%) 5910-20200+1900 (50%) मुख्यालय स्तर पर कार्यरत कनिष्ठ सहायकों के लिए 150/- रूपए तथा लिपिकों के लिए 120/- रूपए सचिवालय भत्ता।
16.	चालक	5910-20200+2000 + 700 विशेष भत्ता
श्रेणी—IV		
17.	प्रतिलिपि यन्त्र चालक	4900-10600+1650 +100 सचिवालय भत्ता
18.	दफतरी	4900-10600+1650 +160 सचिवालय भत्ता
19.	चपड़ासी	4900-10600+1300 मुख्यालय स्तर पर कार्यरत चपड़ासियों के लिए 120/- रूपए सचिवालय भत्ता।
20.	चौकीदार	4900-10600+1300 मुख्यालय स्तर पर कार्यरत चौकीदार के लिए 120/- रूपए सचिवालय भत्ता।

10. समस्त योजनाओं का विवरण, प्रस्तावित व्यय तथा वितरण की रिपोर्ट दर्शाते हुए प्रत्येक विभाग की एजेंसियों का बजट आबंटन।

निर्वाचन विभाग गैर योजना विभाग है तथा विभिन्न प्रकार के निर्वाचन सम्बन्धी कार्यों का निष्पादन करता है। निर्वाचन विभाग से सम्बन्धित योजनाएं, स्कीमें भारत निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देश के अनुरूप कार्यान्वयन की जाती है। निधि प्रणाली तथा बजट पद्धति निम्न प्रकार से है :-

वित्त वर्ष 2010-2011 के लिए अनुपूरक अनुदान सहित स्वीकृत बजट, वित्त वर्ष हेतु किए गए पुनर्विनियोजन सहित कुल बजट प्रावधान तथा 31 मार्च, 2011 तक के अनुमानित व्ययों का विवरण निम्न प्रकार से हैं :-

मांग संख्या	वित्त वर्ष हेतु स्वीकृत बजट (रूपये)	पुनर्विनियोजन/सहमति सहित कुल प्रावधान (रूपये)	वित्त वर्ष का वास्तविक आंकड़ों के अनुरूप अनुमानित व्यय (रूपये)
17-निर्वाचन	6,58,37,000	11,51,44,500	11,41,70,945
19-नागरिक सुरक्षा एवं कल्याण	3,00,000	5,75,000	5,72,100
31-जनजातीय विकास	52,47,000	68,01,000	65,19,370
कुल योग	7,13,84,000	12,25,20,500	12,12,62,415

- वित्त वर्ष के दौरान मुख्यालय सहित समस्त अधीनस्थ कार्यालयों को समय-समय पर, उनकी आवश्यकताओं एवं उपलब्ध बजट के दृष्टिगत अनुपातिक दर से आबंटन किया गया तथा मासिक आय/ व्ययों के संकलित विवरण भली-भान्ति तथा नियमानुसार तैयार किए गए।
- इसी वित्त वर्ष के दौरान आगामी वित्त वर्ष 2010-2011 हेतु निम्नलिखित बजट अनुमान वित्त विभाग/जनजातीय विकास विभाग को आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किये गये:-

मांग संख्या	वित्त वर्ष 2011-2012 हेतु अनुमानित बजट प्रावधान
17-निर्वाचन	9,97,81,000
19-नागरिक सुरक्षा एवं कल्याण	6,75,000
31-जनजातीय विकास	67,96,000
कुल योग	10,72,52,000

- उपरोक्त के अतिरिक्त भारत सरकार को निर्वाचन व्ययों में उनके भाग की प्रतिपूर्ति हेतु वित्त वर्ष 2011-2012 के लिए कुल 6,58,82,500/- रुपये के बजट अनुमान भेजे गये।
- इसी प्रकार राज्य सभा निर्वाचनों हेतु वित्त वर्ष 2011-2012 के लिए कुल 30,000/- रुपये के बजट अनुमान भी भारत सरकार को भेजे गये।
- वित्त वर्ष 2010-2011 के दौरान भारत सरकार से निर्वाचन व्ययों में उनके भाग की पूर्ति हेतु अभी तक कुल 16,43,53,240/- रुपये की निधि बुक ट्रांसफर के माध्यम से उपलब्ध हुई तथा इसे विभागीय आय मुख्य लेखा शीर्ष "0070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं 02-निर्वाचन 800-अन्य प्राप्तियां 01-भारत सरकार के भाग की प्रतिपूर्ति से आय" के अन्तर्गत जमा करवाने हेतु महालेखाकार कार्यालय, शिमला-171003 से अनुरोध किया गया।
- वित्त वर्ष के दौरान वित्त एवं जनजातीय विकास विभाग को विभाग से सम्बन्धित सभी मांगों के अधीन बजट प्रावधान एवं व्ययों पर नियन्त्रण के उद्देश्य से समय-समय पर आधिक्य एवं अभ्यर्षण विवरण निर्धारित समय-सीमा के भीतर उपलब्ध करवाई गई।
- ऊपर वर्णित के अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2010-2011 के आय/व्यय आंकड़ों का समय-समय पर लेखा कार्यालयों से मिलान किया गया तथा बजट एवं व्ययों सम्बन्धी विभिन्न प्रकार की सूचनाएं, वित्त विभाग, हिमाचल प्रदेश, महालेखाकार हिमाचल प्रदेश, मान्य लोक लेखा समितियां, हिमाचल प्रदेश विधान सभा, भारत सरकार एवं भारत निर्वाचन आयोग आदि सभी सम्बन्धित संस्थानों को उपलब्ध करवाई गई तथा नेमी कार्यों के सम्पादन के साथ-साथ अपने विभागीय अधिकारियों द्वारा अपेक्षित अन्य कार्यों का भी सम्पादन किया गया।

गैर जनजातीय क्षेत्र के लिए
मांग संख्या 17—“निर्वाचन”

लेखा शीर्ष : “2015—निर्वाचन(गैर योजना) दत्तमत

उप शीर्ष : 102—निर्वाचन अधिकारी

01—मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं स्टाफ, वेतन, भाग—I व II
103—मतदाता सूचियों की तैयारी एवं मुद्रण—01—विधान सभा
103—मतदाता सूचियों की तैयारी एवं मुद्रण—02—लोक सभा
104—01—लोक सभा / विधान सभा के एक साथ होने वाले निर्वाचनों के संचालन सम्बन्धी प्रभार
105—लोक सभा निर्वाचन संचालन सम्बन्धी प्रभार—01—लोक सभा
106—विधान सभा निर्वाचन संचालन सम्बन्धी प्रभार—01—विधान सभा
108—मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करना

जनजातीय क्षेत्र के लिए
मांग संख्या 31—“जनजातीय विकास”

लेखा शीर्ष : “2015—निर्वाचन(गैर योजना) दत्तमत

उप शीर्ष : 796—जनजातीय क्षेत्र उप योजना

01—मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं स्टाफ, वेतन, भाग—I व II
02—मतदाता सूचियों की तैयारी एवं मुद्रण—विधान सभा
03—मतदाता सूचियों की तैयारी एवं मुद्रण—लोक सभा
04—विधान सभा निर्वाचन संचालनार्थ प्रभार
05—लोक सभा निर्वाचन संचालनार्थ प्रभार
08—मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करना
09—लोक सभा / विधान सभा निर्वाचन संचालनार्थ प्रभार

वित्त वर्ष के दौरान भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा विभाग से सम्बन्धित मांगों के अधीन अंकित पैरों के तर्कसंगत एवं यथोचित सटिप्पण उत्तर सचिव, हिमाचल प्रदेश विधान सभा, वरिष्ठ उप महालेखाकार, हिमाचल प्रदेश तथा वित्त विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार को यथा समय उपलब्ध करवाए गए।

11. आबंटित धनराशि सहित अनुदान कार्यक्रमों के निष्पादन का तरीका तथा ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों का विवरण :

निर्वाचन विभाग गैर योजना विभाग है। इस विभाग द्वारा कोई अनुदान धनराशि का आबंटन नहीं किया जाता है।

12. विभाग द्वारा प्रदान की गई छूट, परमिट अथवा प्राधिकार पाने वालों का विवरण :

विभाग के किसी भी कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई परमिट और प्राधिकार प्रदान नहीं किए जाते हैं।

13. विभाग के पास इलैक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सूचना का विवरण :

इस विभाग के पास 68 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से सम्बन्धित कम्प्यूटरीकृत मतदाता सूची वैबसाईट "http://ceohimachal.gov.in" और "http://ceohimachal.nic.in" जनसाधारण की सूचनार्थ उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त फोटोयुक्त मतदाता सूचियों में नागरिकों को अपना नाम दर्ज करवाने हेतु ई-रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी उपलब्ध है।

14. नागरिकों द्वारा सूचना प्राप्त करने हेतु उपलब्ध सुविधाओं का विवरण :

प्रशासन में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व तथा जिम्मेदारी लाने हेतु तथा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रभावशाली कार्यन्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा हि.प्र. सूचना का अधिकार नियम 2006 बनाए है। नागरिक कोई भी सूचना प्राप्त करने हेतु 10/- के निर्धारित शुल्क के साथ सादा आवेदन कर सकता है।

15. जनसूचना अधिकारियों के नाम, पद तथा अन्य विवरण :

राज्य मुख्यालय स्तर पर		
अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश।		जन सूचना अधिकारी
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी/ निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश।		सहायक जन सूचना अधिकारी
मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश।		अपील प्राधिकारी
जिला मुख्यालय स्तर पर 10 गैर जनजातीय जिलों के लिए		
अतिरिक्त उपायुक्त/अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट/सहायक आयुक्त (इनमें से जो भी जिला निर्वाचन कार्यालय का प्रभारी हो) उनके अपने जिले के अधिकार क्षेत्र में।		जन सूचना अधिकारी
(क) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/रिटर्निंग ऑफिसर (उप मण्डल अधिकारी/अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट) उनके अपने अधिकार क्षेत्र में।		सहायक जन सूचना अधिकारी
(ख) तहसीलदार (निर्वाचन)/नायब तहसीलदार (निर्वाचन), उनके अपने जिले के अधिकार क्षेत्र में।		
जनजातीय जिलों के लिए		
1.	जिला किन्नौर के लिए :	
	उपायुक्त किन्नौर के सहायक आयुक्त	जन सूचना अधिकारी

	तहसीलदार (निर्वाचन), किन्नौर	सहायक जन सूचना अधिकारी
2.	जिला लाहौल-स्पिति के लिए :	
(क)	लाहौल क्षेत्र के लिए :	
	उप मण्डल अधिकारी(ना.), केलंग	जन सूचना अधिकारी
	तहसीलदार (निर्वाचन), केलंग	सहायक जन सूचना अधिकारी
(ख)	काजा क्षेत्र के लिए :	
	अतिरिक्त उपायुक्त/अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट, काजा (स्थिति के अनुसार)	जन सूचना अधिकारी
	निर्वाचन कानूनगो, काजा	सहायक जन सूचना अधिकारी
	जिला निर्वाचन अधिकारी (उपायुक्त) उनके अपने अधिकार क्षेत्र में।	अपील प्राधिकारी

16. विभाग की सामान्य सूचना :

वर्ष 2010-11 के दौरान निर्वाचन विभाग द्वारा अध्याय-II में वर्णित मुख्य कार्यों को सम्पादित करवाया गया है।

अध्याय—II

विभाग के संविधिक(स्टैचूटरी) कार्य

(क) मतदान केन्द्रों की स्थापना:

- लोक सभा और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन आदेश, 2002 के अन्तर्गत परिभाषित प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र को समुचित संख्या में विभाजित करके मतदान केन्द्रों की स्थापना, भारत निर्वाचन आयोग की पूर्व सहमति व मान्य संसद सदस्यों, विधान सभा सदस्यों एवं राजनैतिक दलों से पूर्व चर्चा के पश्चात् की गई।
- इन्हीं स्थापित मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं द्वारा लोक सभा एवं विधान सभा के विभिन्न निर्वाचनों/उप-निर्वाचनों के लिए मतदान किया जाता है।
- मतदाता सूचियां मतदान केन्द्रवार तैयार की जाती हैं। मतदान केन्द्रों में किसी प्रकार के परिवर्तन का प्रभाव मतदाता सूचियों पर भी पड़ता है, अतः ये मतदान केन्द्र साधारणतया स्थाई तौर पर स्थापित किये जाते हैं तथा इनमें परिवर्तन अपरिहार्य कारणों से ही आयोग की पूर्व अनुमति प्राप्त करके किया जाता है।
- निर्वाचन विभाग का सदैव प्रयास रहा है कि समय-समय पर जनसाधारण को अधिकाधिक सुविधाएं प्रदान की जायें। प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, पर्वतीय स्थिति, बिखरी जनसंख्या व जंगली क्षेत्र होने के बावजूद भी प्रत्येक मतदाता को वोट डालने के लिए कम से कम दूरी तय करनी पड़े, इसी आशय से मतदाता सूचियों की तैयारी से पूर्व समय-समय पर जनसाधारण अथवा राजनैतिक दलों से प्राप्त प्रतिवेदनों/ सुझावों के अनुसार और अधिक मतदान केन्द्र खोलकर इनमें वृद्धि की जाती रही है। प्रदेश में पहले 7251 मतदान केन्द्र थे परन्तु वर्ष 2010 में जिला मण्डी के 31-जोगिन्दर नगर विधान सभा क्षेत्र के सहायक मतदान केन्द्र 98-गरोडू(क) को भारत निर्वाचन आयोग से अनुमोदन प्राप्त कर नियमित मतदान केन्द्र में परिवर्तित कर दिया गया है। इस प्रकार प्रदेश में मतदान केन्द्रों की वर्तमान में कुल संख्या 7252 हो गई है, इसके अतिरिक्त जिला सोलन के 54-कसौली (अ0जा0) विधान सभा क्षेत्र में 55-सनावर मतदान केन्द्र हेतु एक सहायक मतदान केन्द्र भी है।

(ख) (1) फोटो मतदाता सूचियों की तैयारी:

- विभिन्न निर्वाचनों के लिये प्रयोग में लाई जाने वाली फोटोयुक्त मतदाता सूचियों की तैयारी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के अन्तर्गत भारत निर्वाचन आयोग के आदेशों एवं निर्धारित कार्यक्रमानुसार करवाई जाती है। मतदाता सूचियों की तैयारी चार विधियों द्वारा सम्पन्न करवाई जाती है – (1) गहन पुनरीक्षण, (2) संक्षिप्त पुनरीक्षण, (3) आंशिक गहन एवं आंशिक संक्षिप्त पुनरीक्षण, (4) विशेष पुनरीक्षण। सामान्यतः प्रत्येक पांच

वर्ष की अवधि के पश्चात् मतदाता सूचियों का गहन पुनरीक्षण करवाया जाता है। गहन पुनरीक्षण वाले वर्ष के अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष फोटोयुक्त सूचियों का संक्षिप्त अथवा विशेष पुनरीक्षण ही करवाया जाता है। उक्त मतदाता सूचियां प्रत्येक वर्ष की प्रथम जनवरी को मतदाताओं की 18 वर्ष की आयु को आधार मानकर तैयार की जाती है।

- फोटोयुक्त मतदाता सूचियां मतदान केन्द्र वार तैयार की जाती हैं। मतदाताओं का डाटाबेस कम्प्यूटरीकृत है तथा स्थाई किस्म का है। गहन पुनरीक्षण के दौरान प्रगणकों को घर-घर जाकर सत्यापन हेतु प्रारूप मतदाता सूचियां प्रदाय की जाती है। इनमें मृतक व अपात्र मतदाताओं के नाम काटे जाते हैं जबकि पात्र नागरिकों के नाम सम्मिलित किये जाते हैं। संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान ये सूचियां मतदान केन्द्र, ग्राम पंचायतों में निर्धारित अवधि तक जनसाधारण के निःशुल्क निरीक्षण हेतु रखी जाती हैं।
- भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों की अनुपालना में फोटोयुक्त मतदाता सूचियों को निरन्तर अद्यतन बनाए रखने, मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण व फोटो पहचान पत्रों के कार्यक्रम के व्यापक प्रचार हेतु बूथ लेवल आफिसर नियुक्त किए गए हैं। एक बूथ लेवल आफिसर को एक मतदान केन्द्र आबंटित किया गया है। जनवरी, 2011 में प्रत्येक बूथ लेवल आफिसर को मानक पहचान-पत्र एवं मानक नाम पट्टिका (Standard Name Board) उपलब्ध करवाए गए।
- वर्ष 2010 के दौरान 1.1.2010 की अर्हता तिथि के आधार पर फोटो मतदाता सूचियों का विशेष पुनरीक्षण पूरे प्रदेश में किया गया जिसका कार्यक्रम निम्नानुसार से है:-

क्रम संख्या	विवरण	समयावधि
1.	फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन (सभी मतदान केन्द्रों और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/ सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालयों में)।	2 अगस्त, 2010
2.	दावे /आक्षेप दाखिल करने की अवधि (उपरोक्त सभी स्थानों पर)।	2 अगस्त, 2010 से 17 अगस्त, 2010 तक
3.	फोटोयुक्त मतदाता सूची का सम्बन्धित भाग/ अनुभाग, ग्राम सभा/ स्थानीय निकायों की बैठकों में पढ़ा /सत्यापन किया जाना।	14 अगस्त, 2010 (शनिवार)
4.	विशेष अभियान की तारीखें (सभी मतदान केन्द्रों पर) राजनैतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों सहित दावे व आक्षेप प्राप्त करना।	7 अगस्त, 2010 व 8 अगस्त, 2010
5.	दावे /आक्षेपों का निपटारा तथा पहचान-पत्र एवं अनुपूरक सूचियों की तैयारी।	19 अगस्त, 2010 से 10 सितम्बर, 2010 तक
6.	फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का अन्तिम प्रकाशन।	15 सितम्बर, 2010

- दिनांक 4.2.2010 को प्रदेश में समस्त 68 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 4489876 मतदाता थे जिनमें 2277320 पुरुष तथा 2212556 महिला मतदाता थीं। तदोपरान्त दिनांक 4.2.2010 से 2.8.2010 के दौरान मतदाता सूचियों के निरन्तर अद्यतन के अन्तर्गत एक अनुपूरक सूची निकाली गई। इस प्रकार प्रथम जनवरी, 2010 की अर्हक तारीख के आधार पर दिनांक 2.8.2010 को प्रारूप में प्रकाशित मतदाता सूचियों में 2201429 पुरुष तथा 2111046 महिला मतदाता अर्थात् कुल 4312475 मतदाता थे। उपरोक्त पुनरीक्षण के दौरान 1,49,072 नए मतदाताओं के

नाम फोटोयुक्त मतदाता सूचियों में दर्ज किये गए तथा 38313 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से अपमार्जित किये गए। अतः प्रथम जनवरी, 2010 की अर्हक तारीख के आधार पर दिनांक 15 सितम्बर, 2010 को अन्तिम रूप में प्रकाशित फोटोयुक्त मतदाता सूचियों में 2260326 पुरुष तथा 2162908 महिला मतदाता अर्थात् कुल 4423234 मतदाता थे। राज्य के 68 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की अन्तिम रूप से प्रकाशित फोटो मतदाता सूचियों का डाटा परिशिष्ट "क" पर संलग्नित है।

- वर्ष-2010 में भारत निर्वाचन आयोग के निदेशानुसार 1-1-2011 की अर्हक तिथि के आधार पर प्रदेश के समस्त 68 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में फोटो मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण किया गया जिसका कार्यक्रम निम्नानुसार से है:-

क्रम संख्या	विवरण	समयावधि
1	फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन (सभी मतदान केन्द्रों और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/ सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालयों में)।	30 अक्टूबर, 2010 (शनिवार)
2	दावे/आक्षेप दाखिल करने की अवधि (उपरोक्त सभी स्थानों पर)।	30 अक्टूबर, 2010 (शनिवार) से 23 नवम्बर, 2010 (मंगलवार) तक
3	फोटोयुक्त मतदाता सूची का सम्बन्धित भाग/ अनुभाग, ग्राम सभा/ स्थानीय निकायों की बैठकों में पढ़ा /सत्यापन किया जाना।	9 नवम्बर, 2010 (मंगलवार)
4	विशेष अभियान की तारीखें (सभी मतदान केन्द्रों पर) राजनैतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों सहित दावे व आक्षेप प्राप्त करना।	7 नवम्बर, 2010 (रविवार), 13 नवम्बर, 2010 (शनिवार) व 21 नवम्बर, 2010 (रविवार)
5	दावे /आक्षेपों का निपटारा	23 दिसम्बर, 2010 (बृहस्पतिवार)
6	डाटाबेस अद्यतन, फोटोग्राफ मर्जिंग, कंट्रोल टेबल अद्यतन तथा अनुपूरक सूचियों की तैयारी एवं मुद्रण।	23 दिसम्बर, 2010 (बृहस्पतिवार) से 03 जनवरी, 2011 (सोमवार)
7	फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का अन्तिम प्रकाशन।	05 जनवरी, 2011 (बुधवार)

- प्रथम जनवरी, 2011 की अर्हक तारीख के आधार पर दिनांक 30.10.2010 को प्रारूप में प्रकाशित मतदाता सूचियों में 22,60,326 पुरुष तथा 21,62,908 महिला मतदाता अर्थात् कुल 44,23,234 मतदाता थे। उपरोक्त पुनरीक्षण के दौरान 78,700 नए मतदाताओं के नाम फोटोयुक्त मतदाता सूचियों में दर्ज किये गए तथा 56,461 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से अपमार्जित किये गए। अतः प्रथम जनवरी, 2011 की अर्हक तारीख के आधार पर दिनांक 5 जनवरी, 2011 को अन्तिम रूप में प्रकाशित फोटोयुक्त मतदाता सूचियों में 22,73,685 पुरुष तथा 21,71,788 महिला मतदाता अर्थात् कुल 44,45,473 मतदाता हो गए हैं। राज्य के 68 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की अन्तिम रूप से प्रकाशित फोटो मतदाता सूचियों का डाटा परिशिष्ट "ख" पर संलग्नित है।
- आयोग के निर्देशानुसार हिमाचल प्रदेश के नागरिकों को अपना नाम मतदाता सूचियों में दर्ज करने के लिए ई-रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध करवाई गई।

- फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2011 के बारे में जनसाधारण को जानकारी प्रदाय करने एवं व्यापक प्रचार के लिए पोस्टर, प्रेस नोट और विभिन्न दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन भी जारी किये गये। इसके साथ-साथ सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारियों (उपायुक्तों), निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ए.डी.एम/एस.डी.एम) द्वारा भी न्यूज आईटम और प्रेस नोट जारी करके फील्ड में व्यापक प्रचार किया गया ताकि पात्र व्यक्तियों के नामों को मतदाता सूचियों में सम्मिलित किया जा सके और मृत तथा स्थान परिवर्तित मतदाताओं के नामों को सूचियों से हटाया जा सके।

(2) प्रवासी निर्वाचकों का पंजीकरण

- लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 2010, जो 10 फरवरी, 2011 से प्रवृत्त हुआ है, द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में अन्तःस्थापित धारा 20क के अधीन प्रत्येक प्रवासी निर्वाचक अर्थात् भारतीय नागरिक, जो नियोजन, शिक्षा या अन्य कारणों से भारत में अपने सामान्य निवास स्थान से अनुपस्थित है और उसने किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त नहीं की है तथा जिसका नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित (दर्ज) नहीं है, उस निर्वाचन क्षेत्र, जहाँ भारत में उनका निवास स्थान अवस्थित है, जैसा कि उसके पासपोर्ट में दर्शाया गया है, की मतदाता सूची में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत (दर्ज) करवाने का हकदार है।
- निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 8क के निबंधनों के अनुसार प्रत्येक प्रवासी निर्वाचक, जिसका भारत में निवास स्थान हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित है, जैसा पासपोर्ट में दर्शाया गया है, तथा वर्ष की प्रथम जनवरी को अठारह वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है और अपना नाम मतदाता सूची में रजिस्ट्रीकृत (दर्ज) करवाने का इच्छुक है, वह मतदाता सूची में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत (दर्ज) करने के लिए प्ररूप 6क में दावा आवेदन सम्बद्ध निर्वाचन क्षेत्र के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को या तो व्यक्तिगत रूप से सीधे प्रस्तुत कर सकता है या ऐसे रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को डाक द्वारा दिशा निर्देशों में यथा वर्णित दस्तावेजों सहित भेज सकता है। जब दावा आवेदन डाक द्वारा भेजा जाता है, तो यह पासपोर्ट के सुसंगत पृष्ठों की फोटोप्रतियों, जो सम्यक् रूप से स्वतः अनुप्रमाणित हों, सहित भेजा जाना चाहिए। डाक द्वारा भेजे गए दावों की रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सम्बन्धित बूथ लेवल अधिकारी से जांच करवायेगा तथा आवेदक के रिश्तेदार से उसके बारे में घोषणा प्राप्त करेगा। यदि आवेदक का रिश्तेदार घोषणा देने में मनाही करता है तो ऐसी स्थिति में डाक द्वारा भेजे गए दावे रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सम्बन्धित देश में भारतीय मिशन को सत्यापन हेतु भेज सकते हैं।

(3) सेवा अर्हता मतदाता:

- भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार वर्ष 2003 के उपरान्त प्रत्येक वर्ष मतदाता सूचियों के अन्तिम भाग के दो अनुपूरक तैयार किये जाते हैं। आयोग के नवीनतम निर्देशानुसार वर्ष 2010 का दूसरा अनुपूरक 1 जनवरी, 2010 से 31 अगस्त, 2010 तक अभिलेख कार्यालयों से प्राप्त आवेदनों पर 15 सितम्बर, 2010 को मुद्रित किया गया जिनका विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रवार

विवरण परिशिष्ट "ग" पर दर्शाया गया है। वर्ष 2011 का पहला अनुपूरक 1 सितम्बर, 2010 से 31 दिसम्बर, 2010 तक अभिलेख कार्यालयों से प्राप्त आवेदनों पर 31 जनवरी, 2011 को मुद्रित किया गया जिनका विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट "घ" पर दर्शाया गया है।

(ग) (1) राष्ट्रीय मतदाता जागरण अभियान के तहत प्रचार:

प्रथम जनवरी, 2010 की अर्हता तिथि को आधार मानते हुए वर्ष 2010 में फोटो मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण के दौरान आम नागरिकों को जागरूक करने हेतु दिनांक 4.06.2010 से 30.09.2010 तक मतदाता जागरण अभियान चलाया गया जिसके तहत निम्न कार्य किये गये :-

- विभागीय स्तर पर पम्फ्लैट व पोस्टर तैयार किये गये जिन्हें निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के माध्यम से पंचायतों, महिला मण्डलों और युवक मण्डलों, कॉलेजों और वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं को वितरित किया गया।
- बूथ लेवल अधिकारियों के माध्यम से घर-घर जाकर पात्र नागरिकों को पंजीकरण के लिए उत्साहित किया गया।
- इसी के तहत खण्ड स्तर पर स्थानीय निकायों, वरिष्ठ नागरिकों और गैर सरकारी संस्थाओं के साथ जन मंच का आयोजन किया गया।
- मतदाताओं के पंजीकरण में सुधार करने, फोटो मतदाता सूची में फोटो पहचान पत्रों की प्रतिशतता/विद्यमानता में सुधार हेतु खण्ड स्तर पर सेमीनार/ परिचर्चा का आयोजन किया गया।
- इसी क्रम में मतदाता पंजीकरण एवं मतदाता फोटो पहचान पत्र से सम्बन्धित कई मुद्दों पर दूरदर्शन केन्द्र पर परिचर्चा व लाईव फोन-इन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दूरदर्शन केन्द्र व आकाशवाणी केन्द्र, शिमला से ही मतदाता पंजीकरण सम्बन्धी जनहितैषी घोषणाओं (Jingles) को प्रसारण किया गया।
- तहसीलदार/ नायब तहसीलदार (निर्वाचन) एवं निर्वाचन कानूनगो के माध्यम से उच्च शिक्षण संस्थानों के सदस्यों व छात्रों को जागरूक करने हेतु जागरण अभियान का आयोजन किया गया।
- मतदाता पंजीकरण, मतदाता फोटो पहचान पत्र व लोकतन्त्र को मजबूत करने हेतु मतदान करने के महत्व पर उच्च शिक्षण संस्थानों के छात्रों में वाद-विवाद प्रतियोगिता एवं परिचर्चा का आयोजन किया गया।

इसके अतिरिक्त प्रथम जनवरी, 2011 की अर्हता तिथि को आधार मानते हुए वर्ष 2010 में फोटो मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान मतदाता जागरण अभियान के तहत निम्नलिखित कार्य किये गये :

- मतदाता पंजीकरण सम्बन्धी प्रक्रिया बारे आम जनता और मतदाताओं को जागरूक करने के सम्बन्ध में एक अभियान के तहत दिनांक 27, 29, 31 अक्टूबर, 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20 नवम्बर, 2010 तक दूरदर्शन केन्द्र से मतदाता पंजीकरण सम्बन्धी जनहितैषी घोषणाओं (Jingles) का प्रसारण किया गया।

- इसी प्रकार दिनांक 28, 30 अक्टूबर, 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19 नवम्बर, 2010 तक आकाशवाणी, शिमला से मतदाता पंजीकरण सम्बन्धी जनहितैषी घोषणाओं (Jingles) का प्रसारण किया गया।
- इसके अतिरिक्त दिनांक 29 अक्टूबर, 2010 व 12 नवम्बर, 2010 को मतदाता पंजीकरण एवं मतदाता फोटो पहचान पत्र से सम्बन्धित कई मुद्दों पर आकाशवाणी, शिमला से लाईव फोन-इन कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

(2) मतदाता जागरण अभियान-प्रथम राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, 2011

भारत निर्वाचन आयोग शतप्रतिशत मतदाताओं की निर्वाचन प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत है। आयोग ने सर्वप्रथम विभिन्न आयुवर्ग के पंजीकृत मतदाताओं का विश्लेषण किया जिसमें आयोग ने पाया कि देश में बड़ी मात्रा में वर्ष दर वर्ष 18 से 19 आयुवर्ग के युवा मतदाता सूची में पंजीकृत नहीं हो रहे हैं। इसी कड़ी में भारत निर्वाचन आयोग ने अपने स्थापना दिवस 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष "राष्ट्रीय मतदाता दिवस" के रूप में मनाने का निर्णय लिया।

भारत निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देशों के अनुरूप दिनांक 25 जनवरी, 2011 को राज्य, जिला तथा मतदान केन्द्र स्तर पर "राष्ट्रीय मतदाता दिवस" समारोह का आयोजन किया गया। इन समारोहों का उद्देश्य मताधिकार के महत्व, मतदाता के अधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान करना तथा लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने में मतदाताओं विशेषतय युवा मतदाताओं की भूमिका से भी अवगत करवाया जाना था। इस दौरान नये पंजीकृत मतदाताओं को उनके सम्बन्धित मतदान केन्द्र पर आयोग के द्वारा निर्धारित बैज (Badge) प्रदान करते हुए उनका अभिनन्दन किया गया व उन्हें मतदाता फोटो पहचान पत्र भी प्रदान किये। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य पर मतदाताओं को वितरित बैज व मतदाता फोटो पहचान पत्रों का जिलावार विवरण निम्न प्रकार से हैं :-

जिला का नाम	राज्य में कुल मतदान केन्द्रों की संख्या	मतदान केन्द्र स्थलों की संख्या जहां राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन किया गया	नये पंजीकृत मतदाताओं की संख्या जिन्हें फोटो पहचान पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया	मतदाताओं की संख्या जिन्हें बैज प्रदान किये गये
1	2	3	4	5
1. चम्बा	572	540	4848	4848
2. कांगड़ा	1545	1301	13521	13521
3. लाहौल और स्पिति	89	86	290	290
4. कुल्लू	474	315	1792	3765
5. मण्डी	1064	967	11591	11591
6. हमीरपुर	514	402	5217	5217
7. ऊना	500	359	3950	3950
8. बिलासपुर	351	345	2711	2711
9. सोलन	515	468	6987	6987
10. सिरमौर	518	468	6200	6250
11. शिमला	992	897	5489	5489
12. किन्नौर	118	113	360	1154
कुल योग	7252	6261	62956	65773

उक्त के अतिरिक्त राज्य स्तर एवं जिला शिमला का जिला स्तरीय समारोह संयुक्त रूप से मल्टिपर्पस हॉल, गेयटी थियेटर कॉम्प्लैक्स, शिमला में मनाया गया। माननीय न्यायाधीश श्री वी.के. आहूजा, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय इस समारोह के मुख्य अतिथि थे। राज्य स्तरीय समारोह में भाषा एवं संस्कृति विभाग, हिमाचल प्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश ज्ञान-विज्ञान समिति के सांस्कृतिक दलों द्वारा "राष्ट्रीय मतदाता दिवस" के उद्देश्य पर केन्द्रित एक रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया।

राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह के सफलतापूर्वक सम्पन्न करवाने व मतदाताओं को जागरूक करने हेतु मतदाता जागरण अभियान के द्वितीय चरण जो कि दिनांक 15 दिसम्बर, 2010 से 25 जनवरी, 2011 तक चलाया गया था, के तहत निम्न कार्य किये गये :-

- राष्ट्रीय मतदाता दिवस से सम्बन्धित जनहितैषी घोषणाओं (Jingles) का दूरदर्शन केन्द्र व आकाशवाणी, शिमला से प्रसारण किया गया।
- राष्ट्रीय मतदाता दिवस से सम्बन्धित कई मुद्दों पर दूरदर्शन केन्द्र व आकाशवाणी, शिमला पर परिचर्चा व लाईव फोन-इन कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
- राज्य में प्रचलित प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से समय-समय पर राष्ट्रीय मतदाता दिवस से सम्बन्धित विज्ञापनों को विज्ञापित किया गया।
- दिनांक 25 जनवरी, 2011 विभिन्न स्तरों पर अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों यथा भांगड़ा, लोक नृत्य, नृत्य नाटिकाओं, करियाला, गिद्दा और वाद-विवाद प्रतियोगिताओं जोकि "राष्ट्रीय मतदाता दिवस" के उद्देश्य पर केन्द्रित थे, का आयोजन किया गया।

(घ) मतदाता फोटो पहचान पत्रों की तैयारी:

वित्त वर्ष-2010-2011 के आरम्भ में फोटोयुक्त मतदाता सूचियों में कुल मतदाता, फोटो व्याप्ति, मतदाता फोटो पहचान पत्र व्याप्ति निम्न प्रकार से थे :-

कुल मतदाता	मतदाता सूचियों में फोटो व्याप्ति	मतदाता फोटो पहचान पत्र व्याप्ति	शत प्रतिशत फोटोयुक्त मतदाता सूचियों हेतु फोटो का लिया जाना
44,89,876	41,66,079 (92.79%)	42,11,029 (93.79%)	3,23,797 (7.21%)

भारत निर्वाचन आयोग के अनुदेशों के अनुरूप राज्य के शत-प्रतिशत मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करने एवं मतदाता सूची में 100% फोटो व्याप्ति का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए माह मई-2010 में अभियान चलाया गया।

इस अभियान के दौरान अवशिष्ट मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान तैयार करने के लिए फोटोग्राफी/पासपोर्ट आकार के फोटो जमा करवाने हेतु नोटिस जारी किए गए। इन नोटिस के प्रत्युत्तर

में प्राप्त फोटो से 94,980 नए, 10,253 डुप्लीकेट कुल 1,05,233 पहचान पत्र तैयार कर सम्बन्धित मतदाताओं में वितरित किए गए तथा मतदाता, फोटो व्याप्ति व मतदाता फोटो पहचान पत्र व्याप्ति में क्रमश 2.46% व 2.05% की वृद्धि दर्ज की गई।

निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 01.01.2010 अर्हता तिथि के आधार पर फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण करवाया गया जिसके लिए दिनांक 02.08.2010 को प्रारूप में प्रकाशित की गई मतदाता सूचियों में फोटो व्याप्ति, मतदाता फोटो पहचान पत्र व्याप्ति निम्न प्रकार से थी:-

कुल मतदाता	मतदाता सूचियों में फोटो व्याप्ति	मतदाता फोटो पहचान पत्र व्याप्ति	शत प्रतिशत फोटोयुक्त मतदाता सूचियों हेतु फोटो का लिया जाना
43,12,475	41,07,757 (95.25%)	41,33,002 (95.84%)	2,04,718 (4.75%)

मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण-2010 के दौरान नए पंजीकृत मतदाताओं के 1,47,878, अवशिष्ट मतदाताओं के 19,298 तथा 10,345 डुप्लीकेट कुल 1,77,521 पहचान पत्र तैयार कर वितरित किए गए हैं। 01.01.2010 अर्हता तिथि के आधार पर दिनांक 15-09-2010 को अन्तिम रूप में प्रकाशित मतदाता सूची में फोटो व्याप्ति, मतदाता फोटो पहचान पत्र व्याप्ति निम्न प्रकार से थे :-

कुल मतदाता	मतदाता सूचियों में फोटो व्याप्ति	मतदाता फोटो पहचान पत्र व्याप्ति	शत प्रतिशत फोटोयुक्त मतदाता सूचियों हेतु फोटो का लिया जाना
44,23,234	42,76,038 (96.67%)	42,94,487 (97.09%)	1,28,747 (3.33%)

इसी क्रम में निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 01.01.2011 अर्हता तिथि के आधार पर फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण करवाया गया जिसके लिए दिनांक 30.10.2010 फोटो मतदाता सूची प्रारूप में प्रकाशित की गई। अर्हता तिथि 01.01.2010 के आधार पर दिनांक 15-09-2010 को अन्तिम रूप में प्रकाशित व अर्हता तिथि 01.01.2011 के आधार पर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के लिए दिनांक 30.10.2010 को प्रारूप में प्रकाशित फोटो मतदाता सूची के आकड़े समान हैं क्योंकि दोनों पुनरीक्षणों के बीच मतदाता सूची को UNICODE FONT में बदला गया और पहचान पत्र सम्बन्धित कोई कार्य नहीं हुआ। मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2011 के दौरान भी नवम्बर-2010 में अवशिष्ट मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान पत्र तैयार करने के लिए फोटोग्राफी/पासपोर्ट आकार के फोटो जमा करवाने हेतु नोटिस जारी कर फोटो मतदाता सूची में 100% फोटो व्याप्ति एवं पहचान पत्र व्याप्ति के लक्ष्य प्राप्ति के प्रयास किए गये।

जिन मतदान केन्द्रों में अवशिष्ट मतदाताओं की संख्या 100 या इससे अधिक थी, उनमें फोटोग्राफी करवाई गई। इस अभियान के दौरान नए पंजीकृत मतदाताओं के 78,700, अवशिष्ट मतदाताओं के 46,491, तथा 12,781 डुप्लीकेट कुल 1,37,972 मतदाता फोटो पहचान-पत्र तैयार कर सम्बन्धित मतदाताओं में वितरित किए गए हैं।

मतदाता सूचियों विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2011 के उपरान्त दिनांक 05-01-2011 को अन्तिम रूप में प्रकाशित मतदाता सूची में कुल मतदाता, फोटो व्याप्ति, मतदाता फोटो पहचान पत्र व्याप्ति निम्न प्रकार से हैं:-

कुल मतदाता	मतदाता सूचियों में फोटो व्याप्ति	मतदाता फोटो पहचान पत्र व्याप्ति	शत प्रतिशत फोटोयुक्त मतदाता सूचियों हेतु फोटो का लिया जाना
44,45,473	43,71,584 (98.34%)	43,89,871 (98.75%)	73,989 (1.66%)

विधानसभा क्षेत्र अनुसार विवरण परिशिष्ट "ड." पर है ।

इसके अतिरिक्त दिनांक 6.01.2011 से 31.03.2011 तक मतदाता सूचियों की निरन्तर अद्यतन प्रक्रिया में 1698 नये तथा 3,379 डुप्लीकेट कुल 5077 पहचान पत्र तैयार किये गये।

इस प्रकार इस वित्त वर्ष के दौरान 3,89,045 नए तथा 36,758 डुप्लीकेट कुल 4,25,803 मतदाता फोटो पहचान-पत्र तैयार कर सम्बन्धित मतदाताओं में वितरित किए गए तथा मतदाता, फोटो व्याप्ति व मतदाता फोटो पहचान पत्र व्याप्ति में क्रमशः 5.55% व 4.96% की वृद्धि दर्ज की गई।

वित्त वर्ष के दौरान प्रदेश में पहली बार 7 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों नामतः 21-कुल्लू, 22-बंजार, 24-आनी (अ0जा0), 42-गगरेट, 48-बिलासपुर, 49-श्री नैना देवीजी तथा 55-पच्छाद(अ0जा0) की फोटो मतदाता सूची में 100% पहचान पत्र व्याप्ति का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है।

इसके अतिरिक्त मतदाता फोटो पहचान पत्र की तैयारी के लिए प्रयुक्त होने वाले 6 लाख होलोग्राम भी क्रय किए गए।

(ड.) राष्ट्रपति / उप-राष्ट्रपति निर्वाचन:

भारत के संविधान में राष्ट्रपति एवं उप-राष्ट्रपति के पदों का प्रावधान है (अनुच्छेद 52 व 63), जिनके निर्वाचन भारत निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निर्देशन एवं नियन्त्रण में करवाए जाने का प्रावधान अनुच्छेद 324 में निहित है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मण्डल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। उक्त निर्वाचक मण्डल (क) संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों एवं (ख) राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों पर आधारित होता है। इसी प्रकार उप-राष्ट्रपति के निर्वाचनों के लिये निर्वाचक मण्डल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनित सदस्य सम्मिलित होते हैं।

राष्ट्रपति निर्वाचन में लोक सभा एवं राज्य सभा के महासचिव चक्रानुक्रम (रोटेशन) में रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं तथा लोक सभा / राज्य सभा के अतिरिक्त / संयुक्त सचिव एवं समस्त राज्य विधान सभाओं के सचिव, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किये जाते हैं। संसद एवं राज्य विधान सभाओं के परिसरों में मतदान के लिये स्थान निर्धारित किया जाता है। उप-राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए लोक सभा के महासचिव रिटर्निंग ऑफिसर एवं अतिरिक्त / संयुक्त सचिव सहायक रिटर्निंग

ऑफिसर नियुक्त किये जाते हैं और संसद भवन परिसर में ही मतदान के लिए स्थान नियत किया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिये संसद के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मत का मान 702 एवं हिमाचल प्रदेश विधान सभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मत का मान 51 निर्धारित है। राष्ट्रपति/उप-राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रत्येक 5 वर्ष की अवधि में करवाये जाते हैं। यह निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा करवाये जाते हैं।

वर्ष 2010-2011 में राष्ट्रपति/उप-राष्ट्रपति पद हेतु कोई भी निर्वाचन नहीं करवाये गये हैं। राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति के निर्वाचन अगस्त, 2012 में करवाये जाने हैं।

(च) राज्य सभा के द्विवार्षिक निर्वाचन :

हिमाचल प्रदेश को राज्य सभा में कुल तीन सीटें आबंटित हैं। राज्य सभा संसद का स्थाई सदन होने तथा प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होने के कारण प्रत्येक 2 वर्षीय अवधि में कुल सदस्यों में से 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। इस प्रकार हिमाचल प्रदेश में प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात् एक सदस्य रिटायर होता है जिसकी रिक्ति की पूर्ति हेतु निर्वाचन करवाये जाते हैं।

राज्य सभा के सदस्यों का निर्वाचन सीधे जनता द्वारा नहीं किया जाता है बल्कि यह विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। इस निर्वाचन के लिए हिमाचल प्रदेश विधान सभा के सचिव, रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किये जाते हैं और विधान सभा सदस्यों द्वारा मतदान के लिए स्थान भी विधान सभा परिसर में ही निर्धारित किया जाता है।

वर्तमान में निम्नलिखित सांसद हिमाचल प्रदेश से राज्य सभा में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं:-

1.	श्रीमती विप्लव ठाकुर (इंडियन नेशनल कांग्रेस)	20-3-2006 से
2.	श्री शान्ता कुमार (भारतीय जनता पार्टी)	19-3-2008 से
3.	श्रीमती बिमला(भारतीय जनता पार्टी)	19-3-2010 से

हिमाचल प्रदेश विधान सभा में सदस्यों की दलीय स्थिति

राजनैतिक दल का पूरा नाम	सदस्यों की संख्या	विधान परिषद	टिप्पणी यदि कोई हो।
1	2	3	4
1. भारतीय जनता पार्टी	42	—	—
2. इंडियन नेशनल काँग्रेस	23	—	—
3. निर्दलीय	3	—	—

(छ) विधान सभा एवं लोक सभा के साधारण निर्वाचन:

हिमाचल प्रदेश विधान सभा एवं लोक सभा के गत साधारण निर्वाचन क्रमशः वर्ष 2007 एवं 2009 में सम्पन्न करवाये गये थे। उक्त निर्वाचन अब क्रमशः वर्ष 2012 एवं 2014 में करवाये जाने देय हैं। अतः रिपोर्टाधीन अवधि में कोई साधारण व उप-निर्वाचन नहीं करवाये गये हैं।

(ज) हीरक जयंती समारोह का आयोजन:

हीरक जयंती समारोह के अन्तर्गत शिमला में टैवर्न हाल, गेयटी थियेटर काम्प्लैक्स में 12-6-2010 से 15-6-2010 तक एक फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी का उदघाटन भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, श्री नवीन बी० चावला द्वारा 13-6-2010 को किया गया। हीरक जयंती वर्ष-2010 के लिए चुना गया विषय "मजबूत लोकतन्त्र-सबकी भागीदारी" है। अन्य कार्यक्रमों के अतिरिक्त भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालय व डी०ए०वी०पी० के सहयोग से एक विशेष फोटो प्रदर्शनी आयोजित की गई जिसमें पिछले 60 वर्षों में संचालित किये गये निर्वाचनों को दर्शाया गया। निर्वाचन आयोग की इस प्रदर्शनी में विभिन्न फोटोग्राफ के 22 पैनल लगाये गये।

इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश से सम्बन्धित निम्नलिखित 8 पैनल भी प्रदर्शनी में लगाये गये:-

1. स्वतन्त्र भारत के प्राचीन मतदाता ।
2. मजबूत लोकतन्त्र - सबकी भागीदारी ।
3. महिला सशक्तीकरण ।
4. लोकतन्त्र में आयु सीमा नहीं है।
5. राज्य के लाहौल-स्पिति जिले के ठण्डे क्षेत्र में मतदान केन्द्र 59-हिक्कम का एक बाहरी दृश्य ।
6. लोक सभा निर्वाचन-2009 में राज्य में सबसे वरिष्ठ मतदाता "भदरू राम" ।
7. लोकतन्त्र के विभिन्न पहलू।
8. भविष्य के लिए तैयारी ।

इस प्रदर्शनी को 19,539 व्यक्तियों ने देखा।

अध्याय—III प्रशासनिक कार्य

(क) स्थापना सम्बन्धी कार्य:

(I) अधिकारी व कर्मचारी वर्ग:

निर्वाचन विभाग में दिनांक 31-3-2011 को विभिन्न श्रेणियों के 297 पद स्वीकृत थे।

उपरोक्त 297 स्वीकृत पदों में से दिनांक 31-3-2011 को विभिन्न श्रेणियों के 40 पद निम्न विवरणानुसार रिक्त थे :-

1.	तहसीलदार (निर्वाचन)	1
2.	वरिष्ठ सहायक	1
3.	वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	1
4.	निर्वाचन कानूनगो	4
5.	कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	1
6.	लिपिक	27
7.	चपड़ासी	4
8.	चौकीदार	1
योग :-		40

इसके अतिरिक्त विभाग में दिनांक 31.3.2011 को निम्न पद आऊटसोर्स, अनुबन्ध आधार पर, दैनिक भोगी आधार पर तथा अशकालिक आधार पर स्वीकृत हैं:-

क्र.सं.	पद का नाम	श्रेणी	जिस आधार पर स्वीकृत है	जिस कार्यालय हेतु स्वीकृत है
1.	2.	3.	4.	5.
1.	कम्प्यूटर प्रोग्रामर=3	श्रेणी-I	आऊटसोर्स आधार पर।	निर्वाचन विभाग मुख्यालय हेतु।
2.	कम्प्यूटर ऑप्रेटर=1	श्रेणी-III	अनुबन्ध आधार पर।	निर्वाचन विभाग मुख्यालय हेतु।
3.	कम्प्यूटर ऑप्रेटर=2	श्रेणी-III	आऊटसोर्स आधार पर।	निर्वाचन विभाग मुख्यालय हेतु।
4.	चौकीदार=1	श्रेणी-IV	दैनिक भोगी दर पर	जिला निर्वाचन कार्यालय, शिमला के ठियोग स्थित निर्वाचन भण्डार की देखरेख हेतु।
5.	सफाई कर्मचारी=14	श्रेणी-IV	दैनिक भोगी दर पर=9 अंशकालिक दर पर=3 आऊटसोर्स आधार पर=2	निर्वाचन विभाग मुख्यालय, शिमला, समस्त जिला निर्वाचन कार्यालयों तथा उप-मण्डलीय निर्वाचन कार्यालय, काज़ा हेतु एक-एक की दर से।

उक्त स्वीकृत पदों में से ठियोग के लिए दैनिक भोगी चौकीदार का एक पद दिनांक 31-3-2011 को रिक्त था, जबकि जिला निर्वाचन कार्यालय, धर्मशाला के लिए स्वीकृत दैनिक भोगी सफाई कर्मचारी का पद दिनांक 31-3-2011 को सेवानिवृति के फलस्वरूप रिक्त हुआ है।

(II) विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें :

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान विभाग द्वारा निम्नलिखित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकों का आयोजन किया गया:-

क्र. सं.	बैठक के आयोजन की तिथि	बैठक का स्थान	जिस प्रयोजन हेतु बैठक का आयोजन किया गया
1.	6-5-2010	निर्वाचन विभाग मुख्यालय, ब्लॉक नम्बर-38, एसडीए कम्प्लैक्स, कसुम्पटी, शिमला-171009.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवा में पुष्टि/स्थाईकरण करने बारे।
2.	21-5-2010	-यथो-	तहसीलदार (निर्वाचन), श्रेणी-I (राजपत्रित) के रिक्त पदों की पदोन्नति द्वारा पूर्ति करने बारे।
3.	19-7-2010	-यथो-	निर्वाचन अधिकारी, श्रेणी-I (राजपत्रित) के रिक्त पद की पदोन्नति द्वारा पूर्ति करने बारे।
4.	19-7-2010	-यथो-	निर्वाचन कानूनगो की सेवा में पुष्टि/स्थाईकरण करने बारे।
5.	22-7-2010	-यथो-	नायब-तहसीलदार (निर्वाचन), श्रेणी-II(राजपत्रित) के रिक्त पदों की पदोन्नति द्वारा पूर्ति करने बारे।
6.	26-8-2010	-यथो-	अनुभाग अधिकारी, श्रेणी-I (राजपत्रित) के रिक्त पदों की पदोन्नति द्वारा पूर्ति करने बारे।
7.	3-9-2010	-यथो-	अनुभाग अधिकारी, श्रेणी-I (राजपत्रित) के रिक्त पदों की पदोन्नति द्वारा पूर्ति करने बारे।
8.	30-10-2010	-यथो-	निर्वाचन कानूनगो के रिक्त पदों की सेकण्डमेंट आधार पर पूर्ति करने बारे।
9.	12-11-2011	-यथो-	वरिष्ठ सहायकों के रिक्त पदों की पदोन्नति द्वारा पूर्ति करने बारे।
10.	7-2-2011	-यथो-	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की लिपिकों के पदों पर पदोन्नति द्वारा पूर्ति करने बारे।
11.	24-2-2011	-यथो-	तहसीलदार (निर्वाचन), श्रेणी-I (राजपत्रित) के रिक्त पदों की पदोन्नति द्वारा पूर्ति करने बारे।

(III) रिक्त पदों की पूर्ति :

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान विभाग द्वारा सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करके निम्न पदों की समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करके सीधी भर्ती द्वारा पूर्ति की गई है:-

क्र.सं.	पद का नाम	श्रेणी	जिस आधार पर नियुक्ति प्रदान की गई	भर्ती एजेन्सी/ प्राधिकरण
1.	निर्वाचन कानूनगो=9	श्रेणी-III (अराजपत्रित)	नियमित आधार पर=4 अनुबन्ध आधार पर=5	हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर के माध्यम से।
2.	लिपिक=3	श्रेणी-III (अराजपत्रित)	नियमित आधार पर=1 अनुबन्ध आधार पर=2	हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर व भूतपूर्व सैनिक सैल, हमीरपुर के माध्यम से एक-एक व एक अनुकम्पा के आधार पर।
3.	चपड़ासी कम चौकीदार=2	श्रेणी-IV (अराजपत्रित)	दैनिक दर पर=2	विभागीय चयन समिति द्वारा।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान विभाग द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूचियों के कम्प्यूट्राईजेशन कार्य तथा निर्वाचनों से सम्बन्धित शिकायतों के निपटारे हेतु स्थापित किए गए कॉल सेन्टर के लिए सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करके निम्न कम्प्यूटर प्रोफैशनलों की समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करके DOEACC Society, शिमला से आऊटसोर्सिंग आधार पर पूर्ति की गई है:-

क्र.सं.	पद का नाम	श्रेणी	जिस आधार पर नियुक्ति प्रदान की गई
1.	कम्प्यूटर प्रोग्रामर=2	श्रेणी-I (राजपत्रित)	DOEACC Society, चण्डीगढ़ केन्द्र शाखा कार्यालय, शिमला के माध्यम से आऊटसोर्सिंग आधार पर।
2.	कम्प्यूटर ऑप्रेटर=2	श्रेणी-III (अराजपत्रित)	DOEACC Society, चण्डीगढ़ केन्द्र शाखा कार्यालय, शिमला के माध्यम से आऊटसोर्सिंग आधार पर।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान विभाग द्वारा विभिन्न श्रेणियों के निम्न रिक्त पदों की प्रचलित भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों के अधीन पदोन्नति द्वारा पूर्ति की गई:-

क्र. सं.	श्रेणी	भरे गए रिक्त पदों की संख्या
1.	निर्वाचन अधिकारी	1
2.	अनुभाग अधिकारी	2
3.	तहसीलदार (निर्वाचन)	6
4.	नायब-तहसीलदार (निर्वाचन)	4
5.	वरिष्ठ सहायक	4
6.	निर्वाचन कानूनगो	1
7.	लिपिक	1
8.	चपड़ासी	1
योग:		20

इसके अतिरिक्त रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान सरकार द्वारा विभाग को कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के एक रिक्त पद की प्रचलित भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों में निहित प्रावधान के अधीन अनुबन्ध आधार पर पूर्ति करने तथा लिपिकों के 9 रिक्त पदों की प्रचलित भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों में निहित प्रावधान के अधीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से 20 प्रतिशत Limited Direct Recruitment कोटे के अन्तर्गत पूर्ति करने की अनुमति प्रदान की गई थी। इस बारे अध्यपेक्षा (requisition) सचिव, अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर को भेज दी गई है। उक्त पदों की पूर्ति बारे प्रक्रिया जारी है।

(IV) अधिनियमों/नियमों का अधिनियमन :

निर्वाचन विभाग के अपने कोई भी नियम/अधिनियम नहीं है। परिणामतः विभाग केन्द्र सरकार द्वारा बनाए गए निर्वाचनों से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार के नियमों/अधिनियमों/अनुदेशों के अधीन कार्य करता है।

निर्वाचन विभाग द्वारा विभिन्न वर्गों के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियम तैयार किए गए हैं, जिन्हें सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अधीन अद्यतन रखा जाता है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान विभाग द्वारा सरकार से प्राप्त नवीनतम अनुदेशों के अनुसरण में निम्न पदों/श्रेणियों के प्रचलित भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों में वांछित संशोधन किए गए:-

क्र.सं.	श्रेणी का नाम	संशोधन का संक्षिप्त व्यौरा	संशोधन की तिथि	राजपत्र में प्रकाशन की तिथि
1	2	3	4	5
1.	सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी	वेतनमानों सम्बन्धी संशोधन	17.9.2010	18.9.2010
2.	निर्वाचन अधिकारी	वेतनमानों सम्बन्धी संशोधन	25.9.2010	25.9.2010
3.	अनुभाग अधिकारी	पुराने नियम निरस्त करके नए नियम अधिसूचित किए गए।	7.5.2010	10.5.2010
4.	निजी सचिव	वेतनमानों सम्बन्धी संशोधन	25.9.2010	25.9.2010
5.	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	अनुबन्ध नियुक्ति का प्रावधान वेतनमानों सम्बन्धी संशोधन	31.5.2010 22.9.2010	1.6.2010 25.9.2010
6.	नायब-तहसीलदार (निर्वाचन)	वेतनमानों सम्बन्धी संशोधन	29.10.2010	29.10.2010
7.	वरिष्ठ सहायक	वेतनमानों सम्बन्धी संशोधन	24.9.2010	25.9.2010
8.	वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	अनुबन्ध नियुक्ति का प्रावधान वेतनमानों सम्बन्धी संशोधन	29.1.2010 23.6.2010	4.2.2010 24.6.2010
9.	कनिष्ठ वेतनमान वेतनमान आशुलिपिक	अनुबन्ध नियुक्ति का प्रावधान वेतनमानों सम्बन्धी संशोधन	4.6.2010 30.9.2010	5.6.2010 30.9.2010
10.	कम्प्यूटर ऑपरेटर	अनुबन्ध नियुक्ति का प्रावधान वेतनमानों सम्बन्धी संशोधन	31.5.2010 28.9.2010	1.6.2010 28.9.2010
11.	निर्वाचन कानूनगो	अनुबन्ध नियुक्ति का प्रावधान वेतनमानों सम्बन्धी संशोधन	3.6.2010 30.9.2010	4.6.2010 30.9.2010
12.	चालक	अनुबन्ध नियुक्ति का प्रावधान वेतनमानों सम्बन्धी संशोधन	5.6.2010 13.10.2010	7.6.2010 13.10.2010
13.	लिपिक	अनुबन्ध नियुक्ति का प्रावधान वेतनमानों सम्बन्धी संशोधन	12.8.2010 13.10.2010	18.8.2010 13.10.2010
14.	प्रतिलिपि यन्त्र चालक	वेतनमानों सम्बन्धी संशोधन	13.10.2010	13.10.2010
15.	दफ्तरी	वेतनमानों सम्बन्धी संशोधन	13.10.2010	13.10.2010
16.	चपड़ासी	अनुबन्ध नियुक्ति का प्रावधान वेतनमानों सम्बन्धी संशोधन	8.6.2010 14.10.2010	9.6.2010 14.10.2010
17.	चौकीदार	अनुबन्ध नियुक्ति का प्रावधान वेतनमानों सम्बन्धी संशोधन	8.6.2010 13.10.2010	9.6.2010 13.10.2010

इसके अतिरिक्त विभाग का प्रशासनिक कार्य हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रचलित नियमों एवं अनुदेशों तथा हिमाचल प्रदेश कार्य संचालन नियमावली, 1971 के अन्तर्गत जारी किए गए विभागीय स्थाई आदेशों के अधीन संचालित किया जाता है।

(V) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 :

(i) पृष्ठभूमि:- भारतीय संसद द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 अधिसूचित किया गया है। यह अधिनियम 12 अक्टूबर, 2005 (15 जून, 2005 को अधिसूचित किए जाने के 120वे दिन) को लागू हुआ था। यह अधिकार बोलने के अधिकार तथा जीवनयापन के अधिकार के आधार पर तैयार

किया गया है। इस अधिनियम की यह अपेक्षा है कि जन सूचना अधिकारी आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना उसे निर्धारित समयावधि के भीतर प्रदान करें। यदि कोई जन सूचना अधिकारी निर्धारित समयावधि के भीतर आवेदक को वांछित सूचना प्रदाय नहीं करता है तो इसका तात्पर्य यह होगा कि जन सूचना अधिकारी द्वारा मांगी गई सूचना प्रदाय करने से इनकार किया गया है। जन सूचना अधिकारी के लिए मामले के निपटान हेतु समय सीमा आवेदन प्राप्ति की तिथि से आरम्भ होगी। जन सूचना अधिकारी द्वारा वांछित सूचना निर्धारित समयावधि के भीतर प्रदाय न करने की स्थिति में आवेदक अपील प्राधिकारी के पास अपील कर सकता है। इस अधिनियम के अधीन आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना निर्धारित समयावधि के भीतर उसे प्रदाय न करने की स्थिति में दोषी जन सूचना अधिकारियों पर 250/-रूपये प्रतिदिन के हिसाब से दण्डारोपण किए जाने का प्रावधान है, यदि वे बिना किसी कारण के दोषी पाए जाते हैं। दण्ड की अधिकतम राशि 25000/-रूपए तक हो सकती है।

(ii) सूचना प्राप्त करने हेतु फीस/शुल्क: हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना प्रदाय करने हेतु अपने नियम बनाए गए हैं। इन नियमों के अनुसार आवेदन पत्र का शुल्क 10/-रूपए निर्धारित किया गया है। सूचना तैयार होने पर इसकी कीमत निम्न प्रकार से है:-

1	जहां सूचना समूल्य प्रकाशन के रूप में उपलब्ध हो।	प्रकाशित मूल्य पर
2	समूल्य प्रकाशनों के अतिरिक्त	ए-4 आकार तथा इससे छोटे आकार के लिए 2/-रूपए प्रति पृष्ठ तथा बड़े आकार के लिए वास्तविक लागत जो कम से कम 20/-रूपए प्रति पृष्ठ होगी।
3	जहां सूचना इलैक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध हो और इलैक्ट्रॉनिक रूप में प्रदान की जानी हो, जैसे फ्लापी, सी.डी. इत्यादि।	50/-रूपए प्रति फ्लापी और 100/-रूपए प्रति सी.डी.।
4	रिकार्ड/दस्तावेजों को देखने के लिए शुल्क	20/-रूपए प्रति 30 मिनट अथवा इसके अंश के लिए।

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों के लिए सरकार द्वारा उक्त अधिनियम के अधीन बिना शुल्क सूचना प्रदाय करने का प्रावधान किया गया है। विभाग द्वारा ऐसे प्रार्थियों को सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसरण में बी.पी.एल. प्रमाण-पत्र के आधार पर निःशुल्क सूचना प्रदाय की जा रही है।

रिपोर्टाधीन अवधि अर्थात् 1-4-2010 से 31-3-2011 तक सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन सूचना प्राप्त करने हेतु विभिन्न माध्यमों से विभाग में कुल 47 आवेदन पत्र प्राप्त हुए जिनका विस्तृत ब्योरा परिशिष्ट "च" पर संलग्न हैं।

(VI) अधिकारियों व कर्मचारियों की वरिष्ठता सूचियां :

विभाग के सभी वर्गों के अधिकारियों/कर्मचारियों की दिनांक 1-2-2010 की अर्हता तिथि के आधार पर स्थाई वरिष्ठता सूचियां उपलब्ध हैं। दिनांक 1-2-2011 की अर्हता तिथि के आधार पर सभी वर्गों के अधिकारियों/कर्मचारियों की अस्थाई वरिष्ठता सूचियां तैयार करके दिनांक 25 फरवरी, 2011 को दावे एवं आक्षेप आमंत्रित करने हेतु जारी कर दी गई है। इस सम्बन्ध में प्राप्त दावों एवं आक्षेपों का निपटारा करने के उपरान्त सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की दिनांक 1-2-2011 की अर्हता तिथि के आधार पर स्थाई वरिष्ठता सूचियां शीघ्र जारी कर दी जाएगी।

(VII) अनुशासनहीनता के मामले :

विभाग के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनहीनता/अभियोजन स्वीकृति इत्यादि का कोई मामला नहीं है।

(VIII) सतर्कता मामले :

विभाग में इस समय किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध सतर्कता से सम्बन्धित कोई भी मामला नहीं है।

(IX) न्यायालय मामले :

निर्वाचन विभाग द्वारा जारी सेवा सम्बन्धी आदेशों के विरुद्ध दिनांक 31.3.2010 को माननीय न्यायालय में निम्न 7 मामले विचाराधीन थे। दिनांक 1.4.2010 से 31.3.2011 तक की रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान एक नया मामला दायर हुआ जबकि उक्त अवधि के दौरान 5 मामलों का माननीय न्यायालय द्वारा निपटारा किया गया। उक्त मामलों का संक्षेप में विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	ओ.ए. संख्या तथा दिनांक	न्यायालय मामले का संक्षेप में विवरण	उत्तर दायर करने की तिथि	अभियुक्ति/ निपटारे की तिथि
1	2	3	4	5	6
1.	श्री राम चन्द्र, नायब-तहसीलदार (निर्वाचन)।	2216/97 26-11-97 (न्यायालय रजिस्टर क्रम संख्या-1)	निलम्बन आदेश को रद्द करने तथा पूर्व तिथि से नायब-तहसीलदार (निर्वाचन) के पद पर पदोन्नत करने बारे।	24-12-1997	26-07-2010
2.	श्रीमती कमलेश शर्मा, पूर्व दैनिक भोगी कर्मचारी।	13/2003 07-07-2003 (न्यायालय रजिस्टर क्रम संख्या-14)	विभाग में नियमित लिपिक के पद पर नियुक्ति प्रदान करने बारे।	29-07-2003	10-11-2010

1	2	3	4	5	6
3.	श्रीमती चन्द्रावती ठाकुर।	929/1999 18-03-2004 (न्यायालय रजिस्टर क्रम संख्या-17)	विभाग में दैनिक दर पर नियुक्ति प्रदान करने बारे।	30-10-2004	16-11-2010
4.	श्री बलदेव दास, कनिष्ठ सहायक।	885/2006 25-03-2006 (न्यायालय रजिस्टर क्रम संख्या-25)	दिनांक 8-10-1994 से कनिष्ठ सहायक का वेतनमान दिये जाने बारे।	12-05-2006	—
5.	हि.प्र. राज्य निर्वाचन कानूनगो संघ।	99/2008 11-1-2008 (न्यायालय रजिस्टर क्रम संख्या-27)	तहसीलदार (निर्वाचन) के प्रचलित भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में संशोधन बारे।	06-02-2008	—
6.	श्री कृष्ण सिंह, तहसीलदार (निर्वाचन) सेवानिवृत्त।	1300/2007 06-06-2007 (न्यायालय रजिस्टर क्रम संख्या-28)	लिपिक के पद पर नियुक्ति की तिथि से लियन व वरिष्ठता के उपरान्त वित्तीय लाभ प्रदान करने बारे।	21-07-2007	06-08-2010
7.	श्री खूब सिंह चपड़ासी।	सी.डब्ल्यू.पी. नम्बर-100/2009 (न्यायालय रजिस्टर क्रम संख्या-29)	दैनिक भोगी रूप में 8 वर्ष का नियमित सेवाकाल पूर्ण करने की तिथि से नियमितिकरण करने बारे।	25-02-2009	—
8.	श्री अम्बा दत्त चपड़ासी।	सी.डब्ल्यू.पी. नम्बर-3858/2010 (न्यायालय रजिस्टर क्रम संख्या-30)	दैनिक भोगी रूप में 8/10 वर्ष का नियमित सेवाकाल पूर्ण करने की तिथि से नियमितिकरण करने बारे।	23-8-2010	23-8-2010

वर्तमान में क्रम संख्या-4, 5 व 7 पर वर्णित 3 मामले माननीय न्यायालय में विचाराधीन है।

(X) शिकायत निवारण प्रकोष्ठ की स्थापना व ई-समाधान को लागू करना :

जन शिकायत निवारण विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार निर्वाचन विभाग द्वारा शिकायत निवारण प्रकोष्ठों की स्थापना मुख्यालय व समस्त अधीनस्थ कार्यालयों में कर दी गई है। उक्त शिकायत निवारण प्रकोष्ठों को जन-साधारण की सुविधा हेतु ई-समाधान साफ्टवेयर द्वारा इन्टरनेट से जोड़ दिया गया है। ई-समाधान साफ्टवेयर के सुचारू रूप से संचालनार्थ सम्बन्धित कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण भी प्रदान कर दिया गया है ताकि जन-साधारण से प्राप्त शिकायतों का ई-समाधान के द्वारा तुरन्त निवारण हो सकें। 01.04.2010 से 31.03.2011 तक प्राप्त शिकायतों का विवरण निम्न प्रकार से है:-

PENDENCY SUMMARY (Grievance)

Department	Total			Pendency:: Max. Redressal Time				
	Recv	Disp	Pend	Not Exceeded	7 days	8-15 days	16-30 days	> 30 days
ELECTION	88	88	0	0	0	0	0	0
Office Level	Recv	Disp	Pend	Not Exceeded	7 days	8-15 days	16-30 days	> 30 days
Head Office	31	31	0	0	0	0	0	0
District Office	12	12	0	0	0	0	0	0
Sub Division Office	45	45	0	0	0	0	0	0

इसके अतिरिक्त अन्य माध्यमों जैसे डाक द्वारा, समाचार पत्रों इत्यादि से भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनका विस्तृत ब्यौरा परिशिष्ट "ज" पर संलग्न है।

(XI) वैयक्तिक प्रबन्धन सूचना प्रणाली (Personal Management Information System) :

कार्मिक विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार वैयक्तिक प्रबन्धन सूचना प्रणाली (Personal Management Information System) के अन्तर्गत समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी अभिलेख को on-line update किया जा रहा है। निर्वाचन विभाग की 243 सेवा पंजिकाओं का कम्प्यूटरीकरण किया गया है।

(XII) प्रशिक्षण :

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या: पर(ट्रेनिंग)बी(12)-6/2007, दिनांक 1 जुलाई, 2009 के अन्तर्गत "हिमाचल प्रदेश राज्य प्रशिक्षण नीति, 2009" अधिसूचित की गई थी, जो प्रशिक्षण एवं विदेशी समनुदेशन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या: पर(ट्रेनिंग)बी(12)-6/2007, दिनांक 1 जुलाई, 2009 को समस्त विभागों को क्रियान्वयन हेतु भेजी गई थी। उक्त प्रशिक्षण नीति प्राप्त होने के तुरन्त पश्चात् निर्वाचन विभाग द्वारा इसका क्रियान्वयन प्रारम्भ कर दिया गया तथा विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण का मसौदा तैयार करके विभागीय प्रशिक्षण पुनरीक्षण समिति के (Departmental Training Review Committee) अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया। उक्त समिति द्वारा प्रशिक्षण मसौदे को अनुमोदित करने के उपरान्त विभाग द्वारा अनुपालना रिपोर्ट पत्र संख्या: 5-23/2007-ईएलएन, दिनांक 30.10.2010 के अन्तर्गत प्रधान सचिव (प्रशिक्षण) हिमाचल प्रदेश सरकार को भेजी गई। तदोपरान्त विभाग द्वारा अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से वर्ष 2010-2011 के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया गया उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

(ख) लेखा परीक्षा मामले :

निर्वाचन विभाग मुख्यालय व अधीनस्थ कार्यालयों में वर्ष 2010-2011 को लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण टिप्पण की 5 रिपोर्ट व 5 पैरे अनिर्णित थे। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान 6 रिपोर्ट तथा 13 पैरे प्राप्त हुये। वर्ष 2010-2011 में कुल 11 रिपोर्टें व 18 पैरे थे जिनमें से 9 रिपोर्ट और 14 पैरों का निपटारा अन्तिम रूप से किया जा चुका है। शेष 2 रिपोर्टें तथा 4 पैरों के निपटारे हेतु विभाग प्रयासरत्त है।

(ग) भण्डार एवं सामग्री :

वर्ष 2010-2011 के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार दिनांक 1-1-2010 को अहर्ता तिथि मानते हुए फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण हेतु विभिन्न प्रकार के 19 प्ररूपों को नियन्त्रक मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग हिमाचल प्रदेश

से मुद्रित करवाकर दिनांक 20-05-2011 को समस्त जिलों को उपलब्ध करवाया गया। इसके अतिरिक्त जिला निर्वाचन कार्यालयों में फोटोयुक्त मतदाता सूचियों की बहुप्रतियाँ मुद्रित करवाने हेतु लेजर टोनरो का भी प्रदाय किया गया।

दिनांक 7-6-2011 को निर्वाचन विभाग में स्थापित प्रिन्टरों में प्रयोग होने वाले लेजर टोनरो की दरें सभी औपचारिकताएँ पूर्ण करने के पश्चात् अनुमोदित की गईं।

भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर राजस्तरीय हीरक जयन्ती जो दिनांक 12 से 15 जून, 2010 तक शिमला के गेयटी थियेटर में मनायी गई, के सफल आयोजन हेतु विभिन्न प्रकार प्रबन्ध किये गये।

दिनांक 28-03-2010 को निर्वाचन विभाग मुख्यालय के भण्डार का भौतिक सत्यापन किया गया। छांट छटाई के पश्चात् पुरानी व अयोग्य वस्तुओं का निपटारा निलामी द्वारा दिनांक 18-8-2010 किया गया।

दिनांक 1-1-2011 को अहर्ता तिथि मानते हुए फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण हेतु विभिन्न प्रकार के 23 प्ररूपों व पोस्टर को नियन्त्रक मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग हिमाचल प्रदेश, से मुद्रित करवाकर, 8 प्रकार की लेखन सामग्री व विभिन्न प्रकार लेजर टोनर सम्स्त जिला निर्वाचन कार्यालयों को दिनांक 21 अक्तूबर, 2010 को प्रदाय किये गये।

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पूरे देश में फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के एक समान मानकीकरण के उद्देश्य से आयोग द्वारा विकसित ERMs Software को प्रयोग करने, तथा उपमण्डलीय निर्वाचन कार्यालयों के स्तर पर On-line data entry व मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करने हेतु वांछित कम्प्यूटर हार्डवेयर व अन्य उपकरणों को क्रय करने बारे सचिव सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश के सहमति प्राप्त करने के पश्चात् National Informatics Centre Services Incorporated (NICSI) Delhi तथा Himachal Pradesh State Electronics Development Corporation, Khallini से क्रय किये गये। इसके अतिरिक्त आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचन विभाग मुख्यालय में जनता से प्राप्त शिकायतों के निवारण हेतु वैबसाईट तथा काल सैन्टर स्थापित करने हेतु वांछित हार्डवेयर/सौफ्टवेयर सभी औपचारिकताएँ पूर्ण करने के पश्चात् Himachal Pradesh State Electronics Development Corporation, Khallini से क्रय किये गये।

निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जायेगा। आयोग के निर्देशों की अनुपालना में 25 जनवरी, 2011 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने हेतु विभाग द्वारा नये व युवा पंजीकृत मतदाताओं के लिए सारी औपचारिकताएँ पूर्ण करने के पश्चात् निजि फर्म से 78,500 बैजिज तैयार करवाये गये तथा समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को उनका यथा समय वितरण किया गया।

निर्वाचन विभाग मुख्यालय में अनुरक्षण अवधि पूर्ण होने के उपरान्त मास फरवरी, 2011 में 46 नस्तियों/रजिस्ट्रों को समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने के पश्चात् आग द्वारा नष्ट किया गया ।

निर्वाचन विभाग में नेमी कार्य को वर्ष भर में सुचारू रूप से सम्पादित करने हेतु वार्षिक मांग के विपरीत लेखन सामग्री तथा सर्वव्यापी प्ररूप विभिन्न प्रकार के रजिस्टर इत्यादि नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, हि.प्र. से जिलों को वितरित करने हेतु क्रय किया गया ।

(घ) विभाग में कम्प्यूटीकरण:

निर्वाचन विभाग का लगभग पूर्णतया कम्प्यूटीकरण हो चुका है। मुख्यालय में लगभग सभी कार्य कम्प्यूटर की सहायता से किए जाते हैं। कम्प्यूटीकृत मुख्य कार्यों की सूची निम्न प्रकार से है:

1. मतदाता सूचियों का कम्प्यूटीकरण।
2. मतदाता फोटो पहचान पत्र तैयार करने का कार्य।
3. विभागीय बैवसाईट को अपडेट व विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को उपलब्ध करना।
4. विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना।
5. सामान्य कार्यालय पत्र व्यवहार।

- मतदाता सूचियों का कम्प्यूटीकरण विभाग द्वारा अपने स्तर पर किया गया है। मतदाता सूचियों की डाटा एन्ट्री का कार्य जिला मुख्यलय व उप-मण्डल स्तर पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार किये गये सॉफ्टवेयर की सहायता से किया जाता है और मतदाताओं का डाटा HIMSWAN Internet के माध्यम से DIT के डाटा सैन्टर के सर्वर में सॉफ्टवेयर के द्वारा भेजा जाता है।

- भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, 68-विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाताओं के डाटाबेस को ISFOC-Format से UNICODE-Format में convert किया गया और डाटाबेस को MS-Access डाटाबेस से SQL-Server डाटाबेस में convert किया गया। मतदाताओं के फोटो को SQL-Server डाटाबेस में merge किया गया व merged फोटो को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदाय सॉफ्टवेयर की सहायता से Resize किया गया। 68-विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाताओं के SQL-Databse को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के डाटा सैन्टर के Server में लोड किया गया।

- 68-विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के Residual Electors के Notice Slips तैयार करके सभी जिलों को प्रदान की गईं ताकि इन निर्वाचकों की फोटोग्राफी की जा सके।

- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदाय ERMS-Software में डाटा एन्ट्री करना, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा फार्म-6, 7, 8 व 8क की approval/rejection करना,

फोटो को डाटाबेस में merge करना, EPICs को generate व प्रिंट करना व मतदाता सूचियों की PDF Files तैयार करने का प्रशिक्षण सभी जिलों के कर्मचारियों को 12-10-2010, 13-10-2010 व 22-11-2010 को प्रदान किया गया।

- 68-विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के सभी निर्वाचन कानूनगो व कर्मचारियों को डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) कार्ड को प्रयोग करने का प्रशिक्षण 18-12-2010 को प्रदान किया गया।

- सेवा अर्हता मतदाताओं के वर्ष 2010 के अनुपूरक-2 तथा वर्ष 2011 के अनुपूरक-1 की मतदाता सूचियों को तैयार करके सभी जिलों को प्रदान की गई।

- 68-विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के 7252 मतदान केन्द्रों के बूथ लैवल अधिकारियों के पहचान पत्र तैयार करके प्रशिक्षण सभी जिलों को प्रदान किये गये।

- दोहरे पंजीकृत मतदाताओं की सूचियां तैयार करने के लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया गया और सम्भावित दोहरे पंजीकृत मतदाताओं की सूचियां तैयार करके सभी जिलों को सत्यापन करने के लिए प्रदान की गई। इन मतदाताओं की जांच पड़ताल करने के बाद 68-विधान सभा क्षेत्रों से सत्यापित दोहरे पंजीकृत मतदाताओं के नामों का मतदाता सूचियों से विलोपन किया गया।

- विभाग द्वारा अपनी बैवसाइट <http://ceohimachal.nic.in> तैयार की गई है जिसमें निर्वाचन सम्बन्धी विभिन्न उपयोगी सूचनाएं उपलब्ध है। सभी मतदाताओं का डाटाबेस भी इस बैवसाइट पर डाला गया है जिसमें मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में ढूंढ सकते हैं। इसके अतिरिक्त मतदाता सूचियों को पी.डी.एफ. फॉरमेट में बैवसाइट पर डाला गया है।

- ई-रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी हिमाचल प्रदेश के नागरिकों को विभागीय बैवसाइट पर प्रदान की गई है। इस सुविधा से हिमाचल के नागरिक इन्टरनेट के माध्यम से अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करने के लिए आवेदन (फार्म-6), मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए आवेदन (फार्म-7), मतदाता सूची में अपनी प्रविष्टी में विद्यमान त्रुटियों को ठीक करने के लिए आवेदन (फार्म-8) व मतदाता सूची में प्रविष्टी को अन्यत्र रखने के लिए आवेदन (फार्म-8क पर) कर सकते हैं।

- मतदाता सूचियों में नाम ढूंढने के लिए बनाये गए सॉफ्टवेयर को modify किया गया।

- सभी जिलों के कर्मचारियों को PMIS(Personal Monitoring Information System) और e-Samadhan (Online Public Grievance Monitoring System) में काम करने के प्रशिक्षण 15-2-2011 को दिया गया।

(ड.) कार्यालयों का निरीक्षण।

निर्वाचन विभाग के विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण करने हेतु निर्वाचन विभाग मुख्यालय स्तर पर संकलित निरीक्षण प्रपत्र तैयार किया गया है। रिपोर्टाधीन वर्ष में निर्वाचन विभाग के अधिकारियों द्वारा विभाग के निम्न कार्यालयों का निरीक्षण किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम व पदनाम	जिला/उप-मण्डल का नाम	निरीक्षण की तिथि
1	2	3	4
1.	श्री पी0एल0 नेगी, अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हि0प्र0।	जिला निर्वाचन कार्यालय, किन्नौर व उप-मण्डल निर्वाचन कार्यालय, रामपुर	15.07.2010 से 16.07.2010
2.	श्री राम लाल ठाकुर, सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हि0प्र0।	जिला निर्वाचन कार्यालय, हमीरपुर	27.07.2010

इसके अतिरिक्त वर्ष-2010 के दौरान सम्बन्धित जिलों के तहसीलदार/नायब-तहसीलदार (निर्वाचन) द्वारा उनके अधीनस्थ उप-मण्डलीय निर्वाचन कार्यालयों का निरीक्षण भी किया गया जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट "छ" पर है।

AC-WISE FINAL ELECTORS AS ON 15-09-2010 WITH REFERENCE TO
QUALIFYING DATE 01-01-2010

Assembly Constituency		General Electors		
No.	Name	MEN	WOMEN	TOTAL
1	2	3	4	5
District Chamba				
1	Churah (SC)	30111	28705	58816
2	Bharmour (ST)	34571	31802	66373
3	Chamba	33668	32838	66506
4	Dalhousie	29763	27792	57555
5	Bhattiyat	31198	29973	61171
Distt. Total :		159311	151110	310421
District Kangra				
6	Nurpur	36917	34318	71235
7	Indora (SC)	37180	34221	71401
8	Fatehpur	34813	33373	68186
9	Jawali	39178	38447	77625
10	Dehra	32876	33068	65944
11	Jaswan-Pragpur	32971	32015	64986
12	Jawalamukhi	31111	30504	61615
13	Jaisinghpur (SC)	33785	37032	70817
14	Sullah	41305	43598	84903
15	Nagrota	36490	35360	71850
16	Kangra	33577	32169	65746
17	Shahpur	35627	35246	70873
18	Dharamshala	32778	30786	63564
19	Palampur	32210	31250	63460
20	Baijnath (SC)	36490	36215	72705
Distt. Total :		527308	517602	1044910
District Lahual & Spiti				
21	Lahual & Spiti (ST)	10767	10623	21390
Distt. Total :		10767	10623	21390
District Kullu				
22	Manali	29920	28293	58213
23	Kullu	36524	34204	70728
24	Banjar	30240	28206	58446
25	Anni (SC)	35491	32684	68175
Distt. Total :		132175	123387	255562

1	2	3	4	5
District Mandi				
26	Karsog (SC)	30073	28350	58423
27	Sundernagar	33927	32334	66261
28	Nachan (SC)	34384	33627	68011
29	Seraj	33564	31503	65067
30	Darang	36040	34547	70587
31	Jogindernagar	39803	40906	80709
32	Dharampur	32034	34290	66324
33	Mandi	31141	31602	62743
34	Balh (SC)	31670	31475	63145
35	Sarkaghat	36203	36624	72827
Distt. Total :		338839	335258	674097
District Hamirpur				
36	Bhoranj (SC)	32359	34940	67299
37	Sujanpur	29413	31716	61129
38	Hamirpur	31954	32231	64185
39	Barsar	34546	36132	70678
40	Nadaun	38641	38967	77608
Distt. Total :		166913	173986	340899
District Una				
41	Chintpurni (SC)	36051	34098	70149
42	Gagret	33763	33231	66994
43	Haroli	36179	33320	69499
44	Una	35771	34148	69919
45	Kutlehar	34886	34054	68940
Distt. Total :		176650	168851	345501
District Bilaspur				
46	Jhanduta (SC)	32737	31166	63903
47	Ghumarwin	36241	36119	72360
48	Bilaspur	34761	33520	68281
49	Sri Naina Deviji	30721	27801	58522
Distt. Total :		134460	128606	263066
District Solan				
50	Arki	37356	36262	73618
51	Nalagarh	35931	32864	68795
52	Doon	26938	24168	51106
53	Solan (SC)	37349	33606	70955
54	Kasauli (SC)	28601	25411	54012
Distt. Total :		166175	152311	318486

1	2	3	4	5
District Sirmour				
55	Pachhad (SC)	31359	28633	59992
56	Nahan	33625	30993	64618
57	Sri Renukaji (SC)	28904	26404	55308
58	Paonta Sahib	33620	28205	61825
59	Shillai	31104	24498	55602
Distt. Total :		158612	138733	297345
District Shimla				
60	Chopal	33181	30219	63400
61	Theog	35882	33976	69858
62	Kasumpti	33807	29253	63060
63	Shimla	29406	22890	52296
64	Shimla Rural	34640	32107	66747
65	Jubbal-Kotkhai	30510	29497	60007
66	Rampur (SC)	33763	31003	64766
67	Rohru (SC)	32681	29775	62456
Distt. Total :		263870	238720	502590
District Kinnaur				
68	Kinnaur (ST)	25246	23721	48967
Distt. Total :		25246	23721	48967
State Total :		2260326	2162908	4423234

**AC-WISE FINAL ELECTORS AS ON 5-01-2011
WITH REFERENCE TO QUALIFYING DATE 01-01-2011**

Asseby Constituency		General Electors		
No.	Name	MEN	WOMEN	TOTAL
1	2	3	4	5
District Chamba				
1	Churah (SC)	30383	28911	59294
2	Bharmour (ST)	33729	31124	64853
3	Chamba	34029	33124	67153
4	Dalhousie	30047	28007	58054
5	Bhattiyat	31542	30173	61715
Distt. Total :		159730	151339	311069
District Kangra				
6	Nurpur	37142	34486	71628
7	Indora (SC)	37434	34377	71811
8	Fatehpur	34985	33443	68428
9	Jawali	39704	38770	78474
10	Dehra	33311	33469	66780
11	Jaswan-Pragpur	33342	32294	65636
12	Jawalamukhi	31475	30793	62268
13	Jaisinghpur (SC)	34433	36907	71340
14	Sullah	41742	43913	85655
15	Nagrota	36668	35458	72126
16	Kangra	33762	32292	66054
17	Shahpur	35708	35026	70734
18	Dharamshala	32693	30664	63357
19	Palampur	32367	31318	63685
20	Baijnath (SC)	36440	36146	72586
Distt. Total :		531206	519356	1050562
District Lahual & Spiti				
21	Lahual & Spiti (ST)	10744	10661	21405
Distt. Total :		10744	10661	21405
District Kullu				
22	Manali	30241	28632	58873
23	Kullu	37194	34853	72047
24	Banjar	30462	28387	58849
25	Anni (SC)	35740	32729	68469
Distt. Total :		133637	124601	258238

1	2	3	4	5
District Mandi				
26	Karsog (SC)	30570	28723	59293
27	Sundernagar	33972	32338	66310
28	Nachan (SC)	34687	33818	68505
29	Seraj	34200	32070	66270
30	Darang	36253	34562	70815
31	Jogindernagar	40128	40991	81119
32	Dharampur	32573	34719	67292
33	Mandi	31367	31830	63197
34	Balh (SC)	31752	31565	63317
35	Sarkaghat	36924	37257	74181
Distt. Total :		342426	337873	680299
District Hamirpur				
36	Bhoranj (SC)	32782	35269	68051
37	Sujanpur	29620	31888	61508
38	Hamirpur	31869	32113	63982
39	Barsar	34848	36316	71164
40	Nadaun	38821	39056	77877
Distt. Total :		167940	174642	342582
District Una				
41	Chintpurni (SC)	36108	34051	70159
42	Gagret	33877	33235	67112
43	Haroli	36171	33185	69356
44	Una	36077	34347	70424
45	Kutlehar	35221	34324	69545
Distt. Total :		177454	169142	346596
District Bilaspur				
46	Jhanduta (SC)	32990	31295	64285
47	Ghumarwin	36421	36217	72638
48	Bilaspur	34991	33640	68631
49	Sri Naina Deviji	31026	27970	58996
Distt. Total :		135428	129122	264550
District Solan				
50	Arki	38283	36935	75218
51	Nalagarh	36370	33082	69452
52	Doon	27003	24274	51277
53	Solan (SC)	37353	33743	71096
54	Kasauli (SC)	28888	25660	54548
Distt. Total :		167897	153694	321591

1	2	3	4	5
District Sirmour				
55	Pachhad (SC)	31689	28949	60638
56	Nahan	34057	31314	65371
57	Sri Renukaji (SC)	29411	26860	56271
58	Paonta Sahib	34163	28568	62731
59	Shillai	31496	24823	56319
Distt. Total :		160816	140514	301330
District Shimla				
60	Chopal	33336	30205	63541
61	Theog	36328	34496	70824
62	Kasumpti	31060	27368	58428
63	Shimla	28727	22538	51265
64	Shimla Rural	34565	32288	66853
65	Jubbal-Kotkhai	30550	29352	59902
66	Rampur (SC)	33673	30847	64520
67	Rohru (SC)	32726	29774	62500
Distt. Total :		260965	236868	497833
District Kinnaur				
68	Kinnaur (ST)	25442	23976	49418
Distt. Total :		25442	23976	49418
State Total :		2273685	2171788	4445473

Assembly Constituency-wise data of Service Electors as on 15.9.2010			
No. & Name of Assembly Constituency	Service Electors as on 15.9.2010		
	Male	Female	TOTAL
1	2	3	4
Disrict Chamba			
1-Churah (SC)	186	74	260
2-Bharmour (ST)	147	56	203
3-Chamba	154	49	203
4-Dalhousie	160	42	202
5-Bhattiyat	1303	517	1820
Total	1950	738	2688
Disrict Kangra			
6-Nurpur	1301	652	1953
7-Indora (SC)	994	435	1429
8-Fatehpur	1231	480	1711
9-Jawali	1468	629	2097
10-Dehra	1328	598	1926
11-Jaswan Pragpur	989	422	1411
12-Jawalamukhi	1128	464	1592
13-Jaisnghpur (SC)	1641	787	2428
14-Sulah	1908	946	2854
15-Nagrota	1097	503	1600
16-Kangra	652	284	936
17-Shahpur	1374	678	2052
18-Dharamshala	1012	478	1490
19-Palampur	1157	501	1658
20-Baijnath	1224	540	1764
Total	18504	8397	26901
Disrict Lahaul and Spiti			
21-Lahaul and Spiti (ST)	309	87	396
Total	309	87	396
Disrict Kullu			
22-Manali	98	35	133
23-Kullu	198	110	308
24-Banjar	140	67	207
25-Anni (SC)	156	71	227
Total	592	283	875

1	2	3	4
Disrict Mandi			
26-Karsog (SC)	155	65	220
27-Sunder Nagar	551	146	697
28-Nachan (SC)	757	212	969
29-Seraj	163	62	225
30-Drang	729	240	969
31-Jogindernagar	1291	300	1591
32-Dharampur	1112	373	1485
33-Mandi	1041	289	1330
34-Balh(SC)	911	268	1179
35-Sarkaghat	1376	600	1976
Total	8086	2555	10641
Disrict Hamipur			
36-Bhoranj (SC)	1789	598	2387
37-Sujanpur	2374	893	3267
38-Hamirpur	1739	737	2476
39-Barsar	1943	364	2307
40-Nadaun	1408	319	1727
Total	9253	2911	12164
Disrict Una			
41-Chintpurni (SC)	818	348	1166
42-Gagret	1226	504	1730
43-Haroli	722	258	980
44-Una	340	107	447
45-Kutlehar	959	285	1244
Total	4065	1502	5567
Disrict Bilaspur			
46-Jhandutta	1048	375	1423
47-Ghumarwin	1062	371	1433
48-Bilaspur	608	270	878
49-Shri Naina Deviji	262	110	372
Total	2980	1126	4106
Disrict Solan			
50-Arki	649	260	909
51-Nalagarh	728	218	946
52-Doon	475	169	644
53-Solan (SC)	262	96	358
54-Kasauli(SC)	367	137	504
Total	2481	880	3361

1	2	3	4
Disrict Sirmour			
55-Pachhad (SC)	399	49	448
56-Nahan	583	165	748
57-Sri Renukaji (SC)	328	75	403
58-Paonta Sahib	428	101	529
59-Shillai	241	62	303
Total	1979	452	2431
Disrict Shimla			
60-Chopal	173	61	234
61-Theog	275	99	374
62-Kasumpti	150	44	194
63-Shimla	104	58	162
64-Shimla Rural	397	156	553
65-Jubbal Kotkhai	162	91	253
66-Rampur (SC)	105	59	164
67-Rohru (SC)	171	72	243
Total	1537	640	2177
Disrict Kinnaur			
68-Kinnaur (ST)	435	70	505
Total	435	70	505
Grand Total	52171	19641	71812

AC-wise data of Service Electors as on 31.01.2011			
No. & Name of Assembly Constituency	Service Electors as on 31.01.2011		
	Male	Female	TOTAL
1	2	3	4
District Chamba			
1-Churah (SC)	189	74	263
2-Bharmour (ST)	150	58	208
3-Chamba	160	51	211
4-Dalhousie	161	43	204
5-Bhattiyat	1340	531	1871
Total	2000	757	2757
District Kangra			
6-Nurpur	1315	657	1972
7-Indora (SC)	1009	439	1448
8-Fatehpur	1264	500	1764
9-Jawali	1196	406	1602
10-Dehra	1367	623	1990
11-Jaswan Pragpur	1014	437	1451
12-Jawalamukhi	1148	471	1619
13-Jaisnghpur (SC)	1543	767	2310
14-Sulah	1930	963	2893
15-Nagrota	1108	509	1617
16-Kangra	667	296	963
17-Shahpur	1391	688	2079
18-Dharamshala	1025	488	1513
19-Palampur	1163	503	1666
20-Baijnath	1257	560	1817
Total	18397	8307	26704
District Lahaul and Spiti			
21-Lahaul and Spiti (ST)	310	88	398
Total	310	88	398
District Kullu			
22-Manali	98	35	133
23-Kullu	198	110	308
24-Banjar	140	67	207
25-Anni (SC)	156	71	227
Total	592	283	875

1	2	3	4
District Mandi			
26-Karsog (SC)	156	66	222
27-Sunder Nagar	557	146	703
28-Nachan (SC)	790	212	1002
29-Seraj	165	64	229
30-Drang	734	242	976
31-Jogindernagar	1300	300	1600
32-Dharampur	1133	387	1520
33-Mandi	1059	289	1348
34-Balh(SC)	921	268	1189
35-Sarkaghat	1407	620	2027
Total	8222	2594	10816
District Hamirpur			
36-Bhoranj (SC)	1805	601	2406
37-Sujanpur	2419	925	3344
38-Hamirpur	1758	752	2510
39-Barsar	1989	367	2356
40-Nadaun	1430	322	1752
Total	9401	2967	12368
District Una			
41-Chintpurni (SC)	819	348	1167
42-Gagret	1234	508	1742
43-Haroli	725	257	982
44-Una	363	107	470
45-Kutlehar	985	292	1277
Total	4126	1512	5638
District Bilaspur			
46-Jhandutta	1058	375	1433
47-Ghumarwin	1075	371	1446
48-Bilaspur	611	273	884
49-Shri Naina Deviji	266	111	377
Total	3010	1130	4140
District Solan			
50-Arki	660	269	929
51-Nalagarh	750	228	978
52-Doon	480	172	652
53-Solan (SC)	266	100	366
54-Kasauli(SC)	371	141	512
Total	2527	910	3437

1	2	3	4
District Sirmour			
55-Pachhad (SC)	399	49	448
56-Nahan	587	173	760
57-Sri Renukaji (SC)	328	79	407
58-Paonta Sahib	439	109	548
59-Shillai	244	63	307
Total	1997	473	2470
District Shimla			
60-Chopal	174	63	237
61-Theog	280	104	384
62-Kasumpti	150	44	194
63-Shimla	107	59	166
64-Shimla Rural	397	156	553
65-Jubbal Kotkhai	164	93	257
66-Rampur (SC)	105	59	164
67-Rohru (SC)	178	73	251
Total	1555	651	2206
District Kinnaur			
68-Kinnaur (ST)	432	69	501
Total	432	69	501
Grand Total	52569	19741	72310

EPICs position as on 05-01-2011 (Date of final publication)

Assembly Constituency		Total Electors	Total Photos in the Roll	Non-Photo Entries	% of Non Photo Entries	Total EPIC Holders	Residual Electors (Without EPIC)	% of Residual Electors	EPIC %age in the roll
No.	Name								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DISTRICT CHAMBA									
1	CHURAH	59294	57842	1452	2.45	58010	1284	2.17	97.83
2	BHARMOUR	64853	60977	3876	5.98	61204	3649	5.63	94.37
3	CHAMBA	67153	65426	1727	2.57	65484	1669	2.49	97.51
4	DALHOUSIE	58054	57251	803	1.38	57278	776	1.34	98.66
5	BHATTIYAT	61715	60663	1052	1.70	61090	625	1.01	98.99
District Total		311069	302159	8910	2.86	303066	8003	2.57	97.43
DISTRICT KANGRA									
6	NURPUR	71628	68234	3394	4.74	69726	1902	2.66	97.34
7	INDORA	71811	68946	2865	3.99	69648	2163	3.01	96.99
8	FATEHPUR	68428	66643	1785	2.61	67122	1306	1.91	98.09
9	JAWALI	78474	75527	2947	3.76	76760	1714	2.18	97.82
10	DEHRA	66780	64546	2234	3.35	65619	1161	1.74	98.26
11	JASWAN-PRAGPUR	65636	64148	1488	2.27	64836	800	1.22	98.78
12	JAWALAMUKHI	62268	61003	1265	2.03	61609	659	1.06	98.94
13	JAISINGHPUR	71340	67671	3669	5.14	69283	2057	2.88	97.12
14	SULLAH	85655	83349	2306	2.69	83605	2050	2.39	97.61
15	NAGROTA	72126	70021	2105	2.92	70715	1411	1.96	98.04
16	KANGRA	66054	63357	2697	4.08	64933	1121	1.70	98.30
17	SHAHPUR	70734	68692	2042	2.89	69773	961	1.36	98.64
18	DHARAMSHALA	63357	61073	2284	3.60	62423	934	1.47	98.53
19	PALAMPUR	63685	61066	2619	4.11	61260	2425	3.81	96.19
20	BAIJNATH	72586	68453	4133	5.69	70676	1910	2.63	97.37
District Total		1050562	1012729	37833	3.60	1027988	22574	2.15	97.85
DISTRICT LAHAUL & SPITI									
21	LAHAUL & SPITI	21405	21370	35	0.16	21370	35	0.16	99.84
District Total		21405	21370	35	0.16	21370	35	0.16	99.84
DISTRICT KULLU									
22	MANALI	58873	58788	85	0.14	58752	121	0.21	99.79
23	KULLU	72047	72043	4	0.01	72047	0	0.00	100.00
24	BANJAR	58849	58849	0	0.00	58849	0	0.00	100.00
25	ANNI	68469	68469	0	0.00	68469	0	0.00	100.00
District Total		258238	258149	89	0.03	258117	121	0.05	99.95
DISTRICT MANDI									
26	KARSOG	59293	58704	589	0.99	58779	514	0.87	99.13
27	SUNDERNAGAR	66310	66290	20	0.03	66290	20	0.03	99.97
28	NACHAN	68505	68500	5	0.01	68500	5	0.01	99.99
29	SERAJ	66270	65967	303	0.46	66028	242	0.37	99.63
30	DARANG	70815	70323	492	0.69	70363	452	0.64	99.36
31	JOGINDERNAGAR	81119	80532	587	0.72	80863	256	0.32	99.68
32	DHARAMPUR	67292	64942	2350	3.49	65195	2097	3.12	96.88
33	MANDI	63197	62703	494	0.78	62769	428	0.68	99.32
34	BALH	63317	63006	311	0.49	63187	130	0.21	99.79
35	SARKAGHAT	74181	73486	695	0.94	73626	555	0.75	99.25
District Total		680299	674453	5846	0.86	675600	4699	0.69	99.31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DISTRICT HAMIRPUR									
36	BHORANJ	68051	67828	223	0.33	67895	156	0.23	99.77
37	SUJANPUR	61508	60795	713	1.16	60850	658	1.07	98.93
38	HAMIRPUR	63982	62798	1184	1.85	63287	695	1.09	98.91
39	BARSAR	71164	71049	115	0.16	71076	88	0.12	99.88
40	NADAUN	77877	77741	136	0.17	77851	26	0.03	99.97
District Total		342582	340211	2371	0.69	340959	1623	0.47	99.53
DISTRICT UNA									
41	CHINTPURNI	70159	69800	359	0.51	69843	316	0.45	99.55
42	GAGRET	67112	67112	0	0.00	67112	0	0.00	100.00
43	HAROLI	69356	69039	317	0.46	69089	267	0.38	99.62
44	UNA	70424	69433	991	1.41	69495	929	1.32	98.68
45	KUTLEHAR	69545	69440	105	0.15	69460	85	0.12	99.88
District Total		346596	344824	1772	0.51	344999	1597	0.46	99.54
DISTRICT BILASPUR									
46	JHANDUTA	64285	63313	972	1.51	63313	972	1.51	98.49
47	GHUMARWIN	72638	71745	893	1.23	71745	893	1.23	98.77
48	BILASPUR	68631	68631	0	0.00	68631	0	0.00	100.00
49	SRI NAINA DEVIJI	58996	58996	0	0.00	58996	0	0.00	100.00
District Total		264550	262685	1865	0.70	262685	1865	0.70	99.30
DISTRICT SOLAN									
50	ARKI	75218	74348	870	1.16	74348	870	1.16	98.84
51	NALAGARH	69452	69189	263	0.38	69189	263	0.38	99.62
52	DOON	51277	50901	376	0.73	50901	376	0.73	99.27
53	SOLAN	71096	70297	799	1.12	70297	799	1.12	98.88
54	KASAULI	54548	54545	3	0.01	54545	3	0.01	99.99
District Total		321591	319280	2311	0.72	319280	2311	0.72	99.28
DISTRICT SIRMOUR									
55	PACHHAD	60638	60638	0	0.00	60638	0	0.00	100.00
56	NAHAN	65371	65116	255	0.39	65116	255	0.39	99.61
57	SRI RENUKAJI	56271	55037	1234	2.19	55037	1234	2.19	97.81
58	PAONTA SAHIB	62731	62703	28	0.04	62703	28	0.04	99.96
59	SHILLAI	56319	55631	688	1.22	55631	688	1.22	98.78
District Total		301330	299125	2205	0.73	299125	2205	0.73	99.27
DISTRICT SHIMLA									
60	CHOPAL	63541	63389	152	0.24	63439	102	0.16	99.84
61	THEOG	70824	70787	37	0.05	70787	37	0.05	99.95
62	KASUMPTI	58428	55111	3317	5.68	55130	3298	5.64	94.36
63	SHIMLA	51265	49892	1373	2.68	49857	1408	2.75	97.25
64	SHIMLA RURAL	66853	63909	2944	4.40	63950	2903	4.34	95.66
65	JUBBAL-KOTKHAI	59902	58879	1023	1.71	58910	992	1.66	98.34
66	RAMPUR	64520	64268	252	0.39	64268	252	0.39	99.61
67	ROHRU	62500	61040	1460	2.34	61049	1451	2.32	97.68
District Total		497833	487275	10558	2.12	487390	10443	2.10	97.90
DISTRICT KINNAUR									
68	KINNAUR	49418	49324	58	0.12	49292	126	0.25	99.75
District Total		49418	49324	58	0.12	49292	126	0.25	99.75
State Total		4445473	4371584	73989	1.66	4389871	55602	1.25	98.75

परिशिष्ट "च"

क्र० सं०	आवेदक का नाम एवं पूरा पता	आवेदन पत्र प्राप्ति की तिथि	विषय वस्तु	सूचना तैयार होने की तिथि	सूचना का मूल्य	सूचना प्रदाय करने की तिथि	एकत्रित राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Shri Tara Chand Thakur S/O Shri Jeet Singh, Village Chamon, PO Bhont, Tehsil & District, Shimla-171003.	29.3.2010	Application for providing information under the Right to Information Act, 2005.	7.4.2010	बी.पी.एल परिवार से सम्बन्ध रखता है	07.4.2010 (By post)	शुन्य
2.	श्री नरेन्द्र कुमार यादव, मकान नं० आर. जेड -158, ए-ब्लाक, प्रेम नगर, फेस-4, नजफगढ़, नई दिल्ली	20.4.2010	बूथ लेवल अधिकारियों सम्बन्धी सूचना	3.6.2010	151/- रु०	आवेदक द्वारा सूचना प्राप्त नहीं की गई।	10/-रुपये (आवेदन शुल्क)
3.	श्री योग राज सपुत्र पं० शाम दास, निवासी बी-567, रणजीत अवेन्चू अमृतसर	29.4.2010	श्री धर्मपाल सपुत्र खजाना राम के पहचान पत्र एवं मतदाता सूची की प्रति प्रदाय करने बारे	3.5.2010	-	3.5.2010 को आवेदन जिला निर्वाचन अधिकारी(उ०) हमीरपुर को स्थानान्तरित किया गया।	50/-रुपये (आवेदन शुल्क की राशि सहित)
4.	Shri M. Raghvendra, Ex. Dizedabled, Taluk Co-ordinator, Karnatka through Social Justice & empowerment, Himachal Pradesh.	03.5.2010	Information under RTI Act, 2005 application from M. Raghvendra, Ex. Dizedabled, Taluk Co-ordinator, Karnatka regarding India Blind people challenged prayed how many class one officers etc.	14-5-2010	-	14.5.2010 (By post)	आवेदन शुल्क की राशि सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग, हि०प्र० द्वारा प्राप्त की गई।
5.	श्री रबनीत सिंह कश्यप मार्फत श्री आर.बी.शर्मा, शर्मा कॉटेज, लक्कड़ बाजार, सोलन, हिमाचल प्रदेश	4.6.2010	विधान सभा निर्वाचन-2007 के दौरान 27-मेवा (अ.जा.) निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी श्री ईश्वर दास धीमान द्वारा रिटर्निंग आफिसर को दिया गया गया अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र।	27.6.2010	12/- रुपए जमा 5/- रुपए पंजीकृत डाक खर्च	27.6.2010	17/- रुपए (10/-रुपए शुल्क की राशि सहित)
6.	Shri Sudershan Kumar S/o Shri Babu Lal, Village Kharota PO Barthi Tehsil Jhadunta District Bilaspur Social Justice & empowerment, Himachal Pradesh.	17.6.2010	Application for providing information under the Right to Information Act, 2005-Regarding Disabled person.	30.6.2010	बी.पी.एल परिवार से सम्बन्ध रखता है	30.06.2010 (By Hand to the Deptt. of Social Justice & empowerment, Himachal Pradesh.	शुन्य

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	Shri Sudershan Kumar S/o Shri Babu Lal, Village Kharota PO Barthi Tehsil Jhadunta District Bilaspur Social Justice & empowerment, Himachal Pradesh.	29.6.2010	Application for providing information under the Right to Information Act, 2005--Regarding Disabled person.	03-7-2010	बी.पी.एल परिवार से सम्बन्ध रखता है	30.06.2010 (By post to Shri Sudershan Kumar S/o Shri Babu Lal, Village Kharota PO Barthi Tehsil Jhadunta Distt. Bilaspur	शून्य
8.	श्री गरीबदारस चेला महन्त जगतदास जी, डेरा बाबा घाटी, डा0 धर्मपुर, तह0 जस्वां, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 सचिव, भारत निर्वाचन आयोग के माध्यम से	2.07.2010	राजिन्द्र कुमार, शकुन्तला, राज कुमार व रमा कुमारी के नाम 38-जस्वां, हि0 प्र0 तथा 51-दसूहा, पंजाब की मतदाता सूचियों में दो स्थानों पर दर्ज होने बारे आपत्ति	14-7-2010	-	3/11/2010 को सूचना भारत निर्वाचन आयोग को भेजी गई	आवेदन शुल्क की राशि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्राप्त की गई।
9.	श्री रतन भाई द्वारा लक्ष्मी देवी, ग्राम व पोस्ट ऑफिस बंजारावाला, देहरादून (उत्तराखण्ड)	2.7.2010	लोक सभा निर्वाचन-2009 के दौरान विजयी प्रत्याशियों द्वारा रिटर्निंग ऑफिसरों के समक्ष जमा किये गये ए0बी0 फार्म की छाया प्रति उपलब्ध करवाने बारे।	3.7.2010	शून्य	3.7.2010 रिटर्निंग ऑफिसर (लोक सूचना अधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी(उप 10) 1-कांगड़ा, 2-मण्डी, 3-हमीरपुर एवं 4-शिमला(अ. जा.) को स्थानान्तरित।	10/-रूपए शुल्क की राशि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सरकारी खाते में जमा की गई।
10.	श्री रबनीत सिंह कश्यप मार्फत श्री आर.बी.शर्मा, शर्मा कॉटेज, लक्कड़ बाजार, सोलन, हिमाचल प्रदेश	5.7.2010	विधान सभा निर्वाचन-2007 के दौरान 29-गगरेट (अ. जा.) निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी श्री कुलदीप कुमार द्वारा रिटर्निंग आफिसर को दिया गया गया अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र।	7.7.2010	शून्य	7.7.2010 जिला निर्वाचन अधिकारी(उप 10) (लोक सूचना अधिकारी) ऊना को स्थानान्तरित।	17/- रूपए (10/-रूपए शुल्क सहित)
11.	Shri Pankaj Manchanda, Manchanda General Store, Shop No. 13, Sanjauli, Shimla-171006.	6.7.2010	लोक सभा/विधान सभा हेतु रिटर्निंग ऑफिसरों/ पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति हेतु क्या मानदण्ड (in term of pay scales)निर्धारित किये गये है, इत्यादि	7.7.2010	88/- रूपए (36/- रूपए पंजीकृत डाक खर्च सहित)	आवेदन कर्ता से सूचना प्राप्त करने हेतु कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ।	20/-रूपए शुल्क की राशि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सरकारी खाते में जमा की गई।

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	श्रीमती कुबजा देवी पत्नी स्वर्गीय श्री गिरजा राम भारद्वाज, गांव व डाकघर सलापड़, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी।	8.7.2010 आवेदक से सीधे।	श्री गिरजा राम भारद्वाज, सेवानिवृत्त तहसीलदार (निर्वाचन) का समस्त सेवा अभिलेख प्रदाय करने बारे।	17.7.2010	मुबलिंग 30/- रूपए	20-7-2010 दस्ती।	मुबलिंग 40/- रूपए
13.	श्री रबनीत सिंह कश्यप मार्फत श्री आर.बी.शर्मा, शर्मा कॉटेज, लक्कड़ बाजार, सोलन, हिमाचल प्रदेश	16.7.2010	विधान सभा निर्वाचन-2007 के दौरान भिन्न-2 निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्याशियों द्वारा रिटर्निंग आफिसरों को दिया गया गया अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र।	17.7.2010	30/- रूपए	17.7.2010 जि. नि. (उपा0) मण्डी, ऊना, कांगड़ा, सिरमौर, सोलन, कुल्लू, शिमला, बिलासपुर एवं चम्बा को स्थानान्तरित।	40/- रूपए (10/-रूपए शुल्क की राशि सहित)
14.	श्री सुदर्शन कुमार पुत्र श्री बाबू लाल, गांव खरोटा, डाकघर बरठी, तहसील झण्डुता, जिला बिलासपुर।	19.7.2010 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से।	विकलांगों की नियुक्तियों के सम्बन्ध में सूचना।	24.7.2010	बी.पी.एल परिवार से सम्बन्ध रखता है	24-7-2010 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से प्रदाय की गई।	शून्य
15.	श्री तारा चन्द मार्फत जीत सिंह, गांव चमो, डाकघर भौंट, जिला शिमला।	26.7.2010 आवेदक से सीधे।	विकलांगों की नियुक्तियों के सम्बन्ध में सूचना।	2.8.2010	शून्य बी0पी0ए ल0 श्रेणी से सम्बन्धित होने के कारण।	2-8-2010 डाक द्वारा।	शून्य
16.	श्री अनिल बैरवाल, एसोसिएशन फार डेमोक्रेटिक रिफॉर्मस, हौज खास, नई दिल्ली, अवर सचिव, भारत निर्वाचन आयोग के माध्यम से	26.07.2010	लोक सभा निर्वाचन के दौरान निःशुल्क प्रदाय की गई मतदाता सूचियों का मूल्य सम्बन्धी सूचना	29.7.2010	---	29-7-2010 को आवेदन पत्र समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (उपायुक्त), हि0 प्र0 को भेजा गया	रू0 10/-
17.	Sh.M.Athikesavan 547,East Avenue Road, MKB Nagar, Vyasarpadi, Chennai-600039. Post Box No. 2701.	26.7.2010	Request for information under The Right to information Act.2005	02.08.2010	8/-रू0 जमा 27/-रू0 0 पंजीकृत डाक खर्च	आवेदक द्वारा सूचना प्राप्त नहीं की गई है।	10/-रूपये (आवेदन शुल्क)

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	श्री नैलेन्द्र प्रधान, भ्रष्टाचार निरोधक सोसायटी, हैड पोस्ट ऑफिस, कांगड़ा।	27.7.2010 कार्मिक विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार के माध्यम से।	सेवा में विस्तार से सम्बन्धित सूचना का प्रदाय।	2.8.2010	शून्य	2-8-2010 डाक द्वारा।	शून्य
19.	श्री जसवन्त सिंह रावत, चेम्बर नं० 576 ए, 57 6ए, मंजिल, वेस्टर्न विंग, तीस हजारी कोर्ट, नई दिल्ली, अवर सचिव, भारत निर्वाचन आयोग के माध्यम से	27.07.2010	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को बूथ लेवल अधिकारी नियुक्त करने सम्बन्धी सूचना	2.8.2010	—	2-8-2010 को आवेदन पत्र समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (उपायुक्त), हि० प्र० को भेजा गया	निर्धारित शुल्क की राशि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्राप्त की गई।
20.	श्री एस.एल.खन्ना, अधिवक्ता, दिल्ली उच्च न्यायालय, BH-452, (POORVI), शालीमार बाग, दिल्ली-88,	28.7.2010	<ul style="list-style-type: none"> How many sitting MPs have criminal cases pending against them in the court How many MPs with criminal background have been convicted and have appealed against their conviction and the appeals is still pending in a Court of Law The above information may be furnished along with the names of the Political Parties they belong 	29.7.2010	शून्य	29.7.2010 रिटर्निंग ऑफिसर (जिला निर्वाचन अधिकारी(उप 10) 1-कांगड़ा, 2-मण्डी, 3-हमीरपुर एवं 4-शिमला(अ. जा.) को स्थानान्तरित।	निर्धारित शुल्क की राशि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सरकारी खाते में जमा की गई।
21.	Shri Navkiran Singh & Associates, Advocates & Consultants, 516, Sector 11-B, Chandigarh-160011	29.7.2010	<ul style="list-style-type: none"> As to how many members of Lok Sabha at present are facing criminal cases Also inform the nature of the criminal cases registered against them and the details In how many cases the charges have been framed against the concerned members 	30.7.2010	शून्य	30.7.2010 रिटर्निंग ऑफिसर (जिला निर्वाचन अधिकारी(उप 10) 1-कांगड़ा, 2-मण्डी, 3-हमीरपुर एवं 4-शिमला(अ. जा.) को स्थानान्तरित।	निर्धारित शुल्क की राशि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सरकारी खाते में जमा की गई।

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	Shri Naresh Kumar, 2 nd Floor Himgiri, Longwood, Shimla, H.P.	23.8.2010	हि0प्र0 के गठन से वर्ष 2010 तक कितने विधान सभा चुनाव हुए हैं। चुनाव की तिथि की विस्तृत जानकारी दें।	24.8.2010	शून्य	24.8.10	10/-रूपए शुल्क की राशि
23.	श्री रमेश तिवारी पत्रकार / आर0टी0आई0 एक्टिविस्ट 59-न्यू कालोनी बाबागंज प्रतापगढ़ उ0प्र0-11	01.9.2010	प्रदेश में जिलावार कब-कब फोटो पहचान पत्र बनाए गए, किसको काम दिया गया गए, उन पर कितना खर्च तथा वितरण आदि बारे	22.9.2010	40रू-	आवेदक को सूचना प्राप्त करने हेतु दिनांक 23-09-2010 को पंजीकृत पत्र द्वारा सूचित कर दिया गया है।	शून्य (प्रार्थना पत्र निर्वाचन आयोग के माध्यम से प्राप्त हुआ है)
24.	उप-मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पंजाब	08.09.2010	राजिन्द्र कुमार, शकुन्तला, राज कुमार व रमा कुमारी के नाम 51-दसूहा, पंजाब की मतदाता सूचियों से हटाने बारे सूचित किया (क्र0 सं0 1पर दर्शाई गई सूचना के सम्बन्ध में)	3.11.2010	-	3-11-2010 को सूचना भारत निर्वाचन आयोग को भेजी गई।	निर्धारित शुल्क की राशि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्राप्त की गई।
25.	श्री दिनेश कुमार चौहान, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत निमायक आयोग, शिमला।	9.9.2010 आवेदक से सीधे।	सेकण्डमेंट आधार पर नियुक्त कर्मचारियों के सम्बन्ध में सूचना।	13.9.2010	मुबलिग 90/- रूपए डाकखर्च अतिरिक्त।	सूचना तैयार होने पर आवेदक को पत्र संख्या: 5-7/2008 -ईएलएन, दिनांक 13-9-2010 द्वारा सूचित किया गया परन्तु अभ्यर्थी द्वारा वांछित सूचना अभी तक प्राप्त नहीं की गई है।	10/- रूपए आवेदन शुल्क।
26.	श्री सुशील कुमार सुपुत्र श्री जगत पाल गांव बरोट, डाकघर छाट, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर।	20.9.2010 श्रम एवं रोजगार विभाग के माध्यम से।	आईटीआई मैकेनिकल इन्स्ट्रुमेंटल ट्रेड के विपरीत सरकारी क्षेत्र में की गई नियुक्तियों से सम्बन्धित सूचना।	22.9.2010	शून्य	22-9-2010 डाक द्वारा।	शून्य
27.	श्री विजयपुरी, संपादकीय सलाहकार, आपका फैसला प्रकाशन प्राईवेट लिमिटेड, नज़दीक रिवोली सिनेमा, लक्कड़ बाज़ार, हि0 प्र0	27.9.2010	वर्तमान विधायकों की चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा	28.9.2010	788/- रूपए (84/- रूपए पंजीकृत डाक खर्च सहित)	आवेदन कर्ता से सूचना प्राप्त करने हेतु कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ।	निर्धारित शुल्क की राशि हि0प्र0 विधान सभा सचिवालय द्वारा सरकारी खाते में जमा की गई।

1	2	3	4	5	6	7	8
28.	श्री संजय शर्मा सुपुत्र श्री आर.पी. शर्मा, गांव डबरूजी, डाकघर लोधीमाजरा, जिला रोपड़, पंजाब।	28.9.2010 आवेदक से सीधे।	निर्वाचन विभाग के तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों तथा वरिष्ठ सहायकों की पदस्थापना/ स्थानान्तरण नीति के सम्बन्ध में सूचना।	6.10.2010	70/- रुपए डाकखर्च अतिरिक्त ।	अभ्यर्थी द्वारा वांछित सूचना अभी तक प्राप्त नहीं की गई है।	10/- रुपए आवेदन शुल्क।
29.	श्री रंजीत सिंह, 148ए, कर्नलगंज, फतेहगढ़, जिला फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश-209601	12.10.2010	पिछले 10 वर्षों के विधान सभा निर्वाचनों में असफल हुए निर्दलीय प्रत्याशियों के नाम व पते सहित सूची की एक प्रति उपलब्ध करवाने बारे।	18.10.2010	114/- रुपए (36/- रुपए पंजीकृत डाक खर्च सहित)	आवेदन कर्ता से सूचना प्राप्त करने हेतु कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ।	10/- रुपए शुल्क की राशि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सरकारी खाते में जमा की गई।
30.	Sh. Pawan Kumar, Village & Post Office Darkati, Tehsil Jawali, District Kangra, H.P. 176023	25.10.2010	Information regarding candidate eligible for contesting Election	27.10.2010	76/- रुपए (36/- रुपए पंजीकृत डाक खर्च सहित)	4.12.2010	90/- रुपए (10/- रुपए शुल्क की राशि सहित)
31.	श्री रबनीत सिंह कश्यप मार्फत श्री आर.बी.शर्मा, शर्मा कॉटेज, लक्कड़ बाजार, सोलन, हिमाचल प्रदेश	15.11.2010	लोक सभा निर्वाचन-2009 में शिमला (अ.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के श्री वीरेन्द्र कश्यप व श्री धनी राम शांडिल द्वारा रिटर्निंग आफिसर को दिया गया गया अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र।	18.11.2010	4/- रुपए	18.11.2010 रिटर्निंग आफिसर जिला निर्वाचन अधिकारी (उपायुक्त) (लोक सूचना अधिकारी) शिमला को स्थानान्तरित।	14/- रुपए (10/- रुपए शुल्क सहित)
32.	श्री कमल भटोल गंगा काटेज कसुम्पटी, शिमला-9	19.11.2010	श्री कमल भटोल, पुत्र रोडू राम, उर्फ छोटे लाल, गंगा काटेज कसुम्पटी, के परिवार के सदस्यों का विवरण।	23.11.2010	-	प्रार्थना पत्र दिनांक 23.11.2010 को जिला निर्वाचन शिमला को सूचना प्रदान करने हेतू अग्रेषित किया गया है ।	आवेदन शुल्क मु0 10/-रु- प्राप्त किया गया है।
33.	श्री कमल भटोल गंगा काटेज कसुम्पटी, शिमला-9	19.11.2010	श्री रोडू राम, उर्फ छोटे लाल, पुत्र किरपा राम, गंगा काटेज कसुम्पटी, के परिवार के सदस्यों का विवरण।	23.11.2010	-	प्रार्थना पत्र दिनांक 23.11.2010 को जिला निर्वाचन शिमला को सूचना प्रदान करने हेतू अग्रेषित किया गया है ।	आवेदन शुल्क मु0 10रु- प्राप्त किया गया है।

1	2	3	4	5	6	7	8
34.	श्रीमति गंगा देवी, गंगा काटेज कसुम्पटी, शिमला-9	19.11.2010	श्रीमति गंगा देवी, पत्नी रोडू राम, उर्फ छोटे लाल गंगा काटेज, कसुम्पटी, के परिवार के सदस्यों का विवरण।	23.11.2010	-	प्रार्थना पत्र दिनांक 23.11.2010 को जिला निर्वाचन शिमला को सूचना प्रदान करने हेतू अग्रेषित किया गया है।	आवेदन शुल्क मु0 10रु- प्राप्त किया गया है।
35.	श्री सतीष कुमार ठाकुर, ग्राम नगर सयावन, तहसील अर्की, जिला सोलन	23.12.2010	पूर्व पंचायत प्रतिनिधियों को एन0ओ0सी0 देने बारे।	24.12.2010	-	सूचना प्रदाय करने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग को भेज दी गई है।	रुपये 10/- की राशि राज्य निर्वाचन आयोग को भेज दी गई है।
36.	Sh.Purushotam Guleria, General Secretary, NGO's Federation , HP c/o CDPO, Solan(HP)	20.1.2011	Request for information under The Right to information Act.2005	03-02-2011	2/-रु0 जमा 27/-रु 0 पंजीकृत डाक खर्च	आवेदक द्वारा सूचना प्राप्त नहीं की गई है।	10/-रुपये (आवेदन शुल्क)
37.	Sh. Arvind Sehgal, H.No. 270/1/1, near Timber Depot, Jawahar Nagar, Mandi, H.P. 175101.	21.1.2011	Instructions/ criteria regarding appointing the polling staff	27.1.2011	40/- रुपए (27/- रुपए पंजीकृत डाक खर्च सहित)	7.2.2011	50/- रुपए (10/-रुपए शुल्क की राशि सहित)
38.	श्री नरिन्द्रपाल सिंह, निवासी 1044ए, दशमेश नगर, नयागांव, पंजाब द्वारा भारत निर्वाचन आयोग।	31.1.2011	मतदाता सूचियों की तैयारी तथा पहचान-पत्र जारी करने सम्बन्धी एवं सेवा अर्हता मतदाताओं सम्बन्धी सूचना प्रदाय करने बारे।	1.2.2011	-	1.2.2011 को सूचना भारत निर्वाचन आयोग को भेजी गई	निर्धारित शुल्क की राशि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्राप्त की गई।
39.	Sh. M.Athikesavan, 547,East Avenue Road, MKB Nagar, Vyasarpadi, Chennai Through Administrative Reforms Department	3.2.2011	विभागाध्यक्ष/पी.आई.ओ. तथा पूरा पत्र व्यवहार	17-2-2011	2/-	आवेदक द्वारा सूचना प्राप्त नहीं की गई	निर्धारित शुल्क की राशि प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा प्राप्त की गई।
40.	श्री एम0आर0तनवर, ग्राम टिऊकरी, तहसील अर्की, जिला सोलन	9.2.2011	कुनिहार पंचायत की आडिट रिपोर्ट 2003.	19.2.2011	-	सूचना प्रदाय करने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग को भेज दी गई है।	रुपये 10/- की राशि राज्य निर्वाचन आयोग को भेज दी गई है।

1	2	3	4	5	6	7	8
41.	श्री अशोक कुमार सुपुत्र श्री धर्म पाल बध्व धर्मपाल अशोक कुमार, करयाना मर्चेन्ट, बाजार टन्दुरान, अम्बाला, हि0 प्र0	21.2.2011	श्रीमती द्रोपती पत्नी श्री आत्मा राम, निवासी गुननुघाट, नाहन, सिरमौर हि0प्र0 की वर्ष 1957 की मतदता सूची की नकल प्रदाय करने बारे ।	28.12.2010	—	28.12.2010 को सूचना प्रदाय करने हेतु आवेदन जिला निर्वाचन अधिकारी (उपायुक्त), सिरमौर स्थित नाहन को प्रेषित किया गया ।	निर्धारित शुल्क की राशि जिला निर्वाचन अधिकारी (उपायुक्त), सिरमौर स्थित नाहन द्वारा प्राप्त की गई ।
42.	श्री अशोक कुमार सुपुत्र श्री धर्म पाल बध्व धर्मपाल अशोक कुमार, करयाना मर्चेन्ट, बाजार टन्दुरान, अम्बाला, सिटी हरियाणा ।	21.2.2011	श्रीमती द्रोपती पत्नी श्री आत्मा राम, निवासी गुननुघाट, नाहन, सिरमौर हि0प्र0 की वर्ष 1957 की मतदता सूची की नकल प्रदाय करने बारे ।	3.3.2011	—	3.3.2011 को सूचना प्रदाय करने हेतु आवेदन जिला निर्वाचन अधिकारी (उपायुक्त), सिरमौर स्थित नाहन को प्रेषित किया गया ।	निर्धारित शुल्क की राशि जिला निर्वाचन अधिकारी (उपायुक्त), सिरमौर स्थित नाहन द्वारा प्राप्त की गई ।
43.	श्रीमती सूरतो आर्या, मुख्य अध्यापिका, राजकीय केन्द्रीय प्राथमिक(लड़कियों के लिए) पाठशाला, सोलन-173212,	22.02.2011	मुख्य अध्यापिका के पद पर पदोन्नति हेतु हुए आदेश को रोके जाने के विरुद्ध अभ्यावेदन	प्रार्थी का अभ्यावेदन विभाग में प्राप्त ही नहीं हुआ था। अतः वांछित सूचना प्रदाय नहीं की गई ।	—	दिनांक 9.3.2011 को इस बावत प्रार्थी को सूचित किया गया था ।	10/- रूपए
44.	श्री अरूण ठाकुर 130/2, रामबाग, अपर हरिपुर, सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 ।	4.3.2011	प्रवासी मतदाताओं तथा उन्हें जारी पहचान-पत्र सम्बन्धी सूचना प्रदाय करने बारे ।	8.3.2011	—	8.3.2011 सूचना प्रदाय करने हेतु आवेदन जिला निर्वाचन अधिकारी (उपायुक्त), मण्डी को प्रेषित किया गया ।	10/-रूपये (आवेदन शुल्क की राशि)
45.	श्री नरेश कुमार सुपुत्र श्री छाजु राम डा0 घर टिक्कर तहसील सदर मण्डी मार्फत श्रम,रोजगार विभागए हि0 प्र0	07.03.2011	Information under RTI act, 2005-रोजगार उपलब्ध करवाने बारे सूचना ।	16.03.2011	आवेदक बी0पी0ए ल0 परिवार से सम्बन्ध रखता है	16.03.2011	शुन्य
46.	श्री राजेश कुमार, वरिष्ठ सहायक, नर्वाचन विभाग मुख्यालय, शिमला ।	16.03.2011	Information under RTI act, 2005	16.03.2011	Rs. 76/- (@ 2/- per page of 38 pages)	16.03.2011	86/-रूपए (10/- शुल्क की राशि सहित)
47.	Sh. Brundabana Mishra, 133(O) Brahmaputra Hostel, JNU, New Delhi-110067	21.3.2011	Information regarding name and no. of AC to which each wards in Shimla fell at the time of Assembly Election 2003	29.3.2011	शून्य	29.3.2011 जिला निर्वाचन अधिकारी (उपा0) (लोक सूचना अधिकारी) शिमला को स्थानान्तरित ।	10/-रूपए शुल्क की राशि

**Detail showing inspection conducted by Tehsildar/ Naib
Tehsildar(Elections) during 2010-2011**

Sr. No.	Name of District	Name and Designation of Inspecting Officer	Name of District/ Sub-Divisional Election Office	Date of Inspection
1	2	3	4	5
1.	Bilaspur	Tehsildar/Naib-Tehsildar (Elections), Bilaspur	Sadar Bilaspur & Ghumarwin	26, 27 & 28-4-2010, 12 to 15-5-2010, 10, 11 & 15-6-2010, 14 & 15-7-2010, 12, 17 & 18-8-2010, 15 to 17-9-2010, 14, 15, 19 & 20-10-2010, 15, 19 & 20-11-2010 and 14, 20 & 21-12-2010
2	Hamirpur	Naib- Tehsildar (Elections), Hamirpur	Barsar	1-6-2010
		-do-	Bhoranj	2-6-2010
		-do-	Nadaun	3-6-2010
		-do-	Hamirpur	4-6-2010
3	Kullu	Smt. Shanti Devi, Tehsildar (Elections), Kullu.	Manali	17 & 18-6-2010
		-do-	Kullu	19 & 20-6-2010
		Sh. Rigzin Bodh, Naib-Tehsildar (Elections), Kullu	Banjar	21 & 22-6-2010
		-do-	Anni	24 & 25-6-2010
4	Sirmour	Tehsildar/Naib-Tehsildar (Elections), Sirmour	Rajgarh	11-5-2010
		-do-	Paonta-Sahib	14-5-2010
		-do-	Nahan	18-5-2010
5	Chamba	Sh. Harbans Lal, Tehsildar(Elections Chamba	Bharmour Chamba	16 th and 17 th August, 2010
		-do-	Dalhousie & Bhattiyat	12 th and 13 th August, 2010 and 20 th and 21 st August, 2010
		Sh. Pratap, Naib-Tehsildar (Elections), Chamba	Churah	11 th and 12 th August, 2010
6	Una	Tehsildar/Naib-Tehsildar (Elections), Una	ERO(ADM), Una	6-7-2010
		-do-	ERO(SDM), Una	7-7-2010
		-do-	Amb	8 & 9-7-2010

1	2	3	4	5
7	Kangra	Sh. Mohar Singh, Tehsildar (Elections), Kangra	Dehra	17-5-2010/18-5-2010
		-do-	Jawali	19-5-2010/20-5-2010
		-do-	Dharamshala	21-5-2010/22-5-2010
		-do-	Nurpur	24-5-2010/25-5-2010
		Sh. Navjeevan Mankotia, Naib-Tehsildar (Elections), Kangra	Jaisinghpur	6-5-2010/7-5-2010
		-do-	Baijnath	10-5-2010/11-5-2010
		-do-	Palampur	12-5-2010/13-5-2010
-do-	Kangra	14-5-2010/15-5-2010		
8	Mandi	Sh. Krishan Dev, Tehsildar (Elections), Mandi	Karsog	20-9-2010
		-do-	Sarkaghat	27-9-2010
		Sh. Hari Singh Kanwar, Naib-Tehsildar (Election)	Sundernagar	22-9-2010
		-do-	Gohar	23-9-2010
		-do-	Sadar Mandi	28-9-2010
		Sh. Chuni Lal, Naib- Tehsildar, Mandi.	Jogindernagar	24-9-2010
	Padhar	25-9-2010		
9	Solan	Tehsildar/Naib-Tehsildar (Elections), Solan	Solan	11-5-2010 and 12-5- 2010
		Tehsildar (Elections), Solan	Arki	5-5-2010 and 6-5-2010
		Naib-Tehsildar (Elections), Solan	Nalagarh	3-5-2010 and 4-5-2010
10	Shimla	Tehsildar (Elections), Shimla	Chopal	27-7-2010
		-do-	Rohru	15-7-2010
		-do-	Shimla(U)	17-7-2010
		Naib-Tehsildar (Elections), Shimla	Rampur	29-7-2010
		-do-	Theog	22-7-2010
-do-	Shimla(R)	24-7-2010		

**DETAIL OF COMPLAINTS IN CONNECTION WITH
ENROLMENT OF NAMES AND EPICs**

Sr. No.	Date of complaint	Source of complaint	Nature of complaint	Action Taken	Remarks, if any
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	11-5-10	Mrs. Roma G. Lalwani, C25A Vikas Nagar	Non-preparation of EPICs	Disposed of. Reply has been sent to the complainant by the ERO concerned 20-5-10.	--
2.	14.8.2010	Sh. Neeraj Goel r/o 26 Type-V, Kaithu, Shimla-171003	Absence of Designated Officer of Polling Station No. 26-Tarahall School-II of 63-Shimla AC of Shimla District during Summary Revision-2010.	ERO Shimla (U) called explanation of the official for absence from duty and informed the complainant on line accordingly on dated 23-8-10	--
3.	4-12-10	Sh. Dheeraj Rana (on-line complaint)	Regarding EPIC not received after photography.	Complaint was disposed of by SDEO, Nurpur. EPICs have been handed over to BLO for further distribution to the complainant	--
4.	15-12-10	Kanwar Yadvender Singh Rana, Chairman, Nalagarh Jan Utthan Dev. Committee, VPO Khera Baddi Road, Teh. Nalagarh, Distt. Solan, H.P.	Regarding enrolment in Electoral Roll and preparation of EPIC.	The complainant has been informed regarding enrolment and EPIC preparation process on 22-12-10.	--
5.	13-12-10	Sh. Garibdas Chhela Mahant Jagatdas Jee, Dehra Baba Ghati, P.O. Dhamrur, Teh. Jasba, Distt. Kangra, H.P. through ECI	Multiple entries in the Electoral Rolls.	Complaint has been sent to District Election Officer (DC), Kangra for field verification.	--
6.	6-1-2011	Sh. Dinesh Kumar Sharma c/o Rishi Ram & Sons opp. Teh. Campus Barsar	Particulars in the Electoral Rolls	ERO (SDM), Barsar took necessary action in the matter and thus this complaint was disposed of on 13-1-2011.	--
7.	28-1-2011	Sh. Ajay Kumar s/o Sh. Prakash Chand, H.No.81, Vill. Shori, P.O., Jole Sappar, A.C. Nadaun	EPIC not received after photography	ERO (SDM), Nadaun has been asked to take necessary action immediately. The applicant applied in Form-6 in the month of December & this application disposed off on 2-2-2011.	--

Sr. No.	Date of complaint	Source of complaint	Nature of complaint	Action Taken	Remarks, if any
1.	2.	3.	4.	5.	6.
8.	3-2-11	Lt. Colonel (Retd.) R.K. Sharma, House No. 2059 ward No.7 Kangra	Regarding issue of voter Identity Cards.	Complaint was forwarded to the ERO(SDO(C), Kangra. EPIC was issued to the complainant on 11-2-2011	--
9.	7-2-2011	Sh. Asahwani Kumar VPO Sudhanga via Kohala Distt. Kangra, H.P.	Regarding delivery of Identity Card	Complaint was forwarded to ERO (SDM), concerned for inquiry and report. In his inquiry report, ERO Shimla (R) has informed that EPIC has been distributed to the complainant.	--
10.	23-2-2011	Sh. Ajay Kumar, H/No. 113, ward No. 8, Hamirpur	Non receipt of EPIC	Complaint has been disposed of by ERO(SDM), Hamirpur on 26-2-2011. The Complainant has been asked to fill up Form-6.	--
11.	12-03-11	Sh. Sumiter Kumar s/o Sh. Mast Ram, H/No. 3/2, VPO Kaswa Punner, Tehsil Palampur, District Kangra	Complaint regarding Electors Photo Identity Card not received after photography	The Complaint has been forwarded to the ERO (SDM), Palampur for necessary action. The EPIC of the complainant has been prepared and requested to collect it from their office.	--
12.	07-03-11	Sh. Pradeep Kumar, Vill Neri, P.O. Jaure Amb Tehsil Barsar, District Hamirpur	Electors Photo Identity Card not received after photography	The Complaint has been disposed of on 9-3-2011 by the ERO (SDM), Barsar by issuing EPIC to the complainant.	--
13.	14.10.10	President, Gram Panchayat, Dhabdiyana, Dev. Block, Bijhari, Distt. Hamirpur, H.P.	Regarding preparation of votes out side the Gram Sabha Area.	The complaint was forwarded to the Secretary, State Election Commission on 19-10-2010.	--
14.	01.09.2010	Yog Raj r/o Amritsar Punjab. Received through Election Commission of India.	Dual Registration	Enquiry was conduct through District Election Officer (DC) Hamirpur. In his report DEO Hamirpur has informed that after enquiry dual registration has been removed. Election Commission of India has been informed on 10.9.2010 accordingly.	-

Sr. No.	Date of complaint	Source of complaint	Nature of complaint	Action Taken	Remarks, if any
1.	2.	3.	4.	5.	6.
15.	18.06.2010	Rakesh Kumar Gara. Received through Election Commission of India.	Dual Registration	Complaint has been enquired through District Election Officer Bilaspur and Election Commission of India has been informed on 20.8.2010 accordingly	-
16.	28.09.2010	Ex-serviceman Prashar Kayshap, s/o Gulaba Ram r/o Nirmand, Kullu.	Registraion of Sh. Mani Ram s/o Lal Singh (Nepalese) in the Electoral Roll and issuance of EPIC to him.	Complaint was sent to the District Election Officer, Kullu for enquiry. Enquiry report received from the District Election Officer (DC) Kullu is not in accordance with the instruction of ECI. Hence, complaint has again send for enquiry.	-
17.	27.12.2010	Raju s/o Surinder Kumar r/o House No. 176 Dharamshala , Kangra	Request for cancellation of EPIC and other documents.	This complaint does not relate to election department. Complaint has been sent to Deputy Commissioner Kangra on 04.01.2011 for necessary action. Copy has also been sent to the District Election officer (DC) also.	Complainant wants to cancel all his documents such as EPIC, insurance policy, Handicapped certificate etc.
18.	03.02.2011	Divya Himachal dated 03.02.2011	Request for cancellation of EPIC and other documents.	The news cutting has been inquired through District Election Officer (DC). As per report received on dated 25.03.2011 from district Election Officer, the news was found baseless.	